The Industrial Relations Code (Amendment) Bill, 2026- passed

माननीय सभापति **:** आइटम नम्बर-24. अब सभा औद्योगिक संबंध संहिता (संशोधन) विधेयक, 2026 पर विचार करेगी ।

यदि सभा सहमत हो तो हम इस विधेयक पर विचार के लिए दो घंटे का समय निर्धारित कर सकते हैं ।

अनेक माननीय सदस्य**:** हां ।

माननीय सभापति **:** माननीय मंत्री जी ।

श्रम और रोजगार मंत्री**;** तथा युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री **(**डॉ**.** मनसुख मांडविया**) :** माननीय सभापति महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 का संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।

माननीय सभापति जी, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, 2020 को पार्लियामेंट ने 28 सितंबर, 2020 को पारित किया था । जब यह कोड पारित किया गया था, तो उसके पहले द ट्रेड यूनियन एक्ट, 1926, द इंडस्ट्रियल एम्प्लायमेंट एक्ट, 1946 और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, 1947 ये तीन पुराने एक्ट्स थे । इन तीनों को समाहित करके एक नया कोड लाया गया । आज जब इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड सरकार ने लागू किया, तो केवल एक छोटे से क्लैरिफिकेशन के लिए मैं इस सदन में आया हूं । जब नया कोड लागू हुआ, तो वह इन तीनों एक्ट्स को रिपील करने का अधिकार सरकार को देता था और सरकार ने ऑलरेडी रिपील भी कर दिया, लेकिन यह एक्ट में शामिल हो जाए, इस उद्देश्य के साथ एक छोटा सा अमेंडमेंट था । यह एक्ट का भी पार्ट बन जाए, ऑलरेडी सरकार ने रिपील कर दिया है, लेकिन एक्ट में भी इस प्रावधान से क्लैरिफिकेशन आ जाए, इस उद्देश्य के साथ मैं एक छोटा सा अमेंडमेंट लेकर आया हूं । मैं इस सदन से आग्रह करता हूं कि इस अमेंडमेंट को स्वीकार करे और पारित करे ।

माननीय सभापति **:** प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

कि औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 का संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Thank you, Chairperson, for giving me the opportunity to participate in this Amendment Bill.

Today is not an ordinary day. Today, on 12th February, as we debate this Bill inside Parliament, crores of workers across India are on strike. Factories are silent.

Transport systems are disrupted. Banks are partially shut. Public sector undertakings are witnessing mass participation in protests. This is not an agitation of a political nature. This is an agitation for the survival of poor workers. The Industrial Relations Code (Amendment) Bill, 2026 is not a reform. It is a regression. It is another chapter in the NDA Government's systematic dismantling of labour protections built over decades.

The Industrial Relations Code, the Code on Wages, the Social Security Code and the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code were passed in haste in 2020, during the pandemic. When workers were walking thousands of kilometres to reach their homes, instead of relief, the Government delivered deregulation. Instead of security, it delivered uncertainty.

Under the earlier law, factories employing more than 100 workers needed Government approval for retrenchment. The Government raised this threshold limit to 300 workers. Now, this amendment further strengthens that dilution. Let us understand what this means. About 70 per cent of manufacturing units fall below 300 workers. Lakh of workers can be terminated without prior approval. Closure decisions can be taken without meaningful scrutiny.

At a time when the unemployment rate among youth remains high, the Government is institutionalising insecurity. CMIE data has consistently shown elevated unemployment, especially among educated youth. Yet, instead of strengthening employment protection, the Government weakens it.

The Code imposes a mandatory 14-day notice for strikes, prohibits strikes during conciliation, and prescribes complex recognition rules for unions. In effect, it transforms the right to strike into a procedural maze. Dr. B. R. Ambedkar, the chief architect of the Indian Constitution, said:

Industrial peace cannot be secured by suppressing the legitimate aspirations of labour.

The Government believes that industrial peace can be manufactured through legal restriction.

This is not democracy. That is control. Today, over 90 per cent of Indian workforce is informal. Gig workers number is in millions. Contract labour is expanding rapidly. Yet, the Social Security Code provides no universal pension, no unemployment insurance, no strong employer contribution mandate for gig workers. Instead of universalising social security, the NDA Government has formalised informalisation.

Madam, regarding data on labour distress, let us place facts on record. Real wage growth for rural labourers has stagnated in recent years. Food inflation continues to affect working class and households. Female labour force participation remains uneven. Worker participation in trade unions has declined due to restrictive provisions. Meanwhile, corporate tax was reduced from 30 per cent to 20 per cent. Massive incentives were given to corporates. Public assets are being monetised. Chairperson, when corporates demand relief, they receive it overnight. When workers demand protection, they receive codes and conditions.

In my State, Kerala, our sector is facing problems after the labour codes, namely, cashew workers, coir workers, plantation workers, headload workers, traditional sector employees. These sectors survive because labour protection exists. Kerala's industrial relations history shows that strong unions do not destroy growth. They create social stability. By imposing centralised codes without fully respecting federal consultation, the Government weakens the States that have progressive labour tradition.

Madam, February 12th strike, that means today's strike, is a warning signal. Today's strikes include participation from central trade unions, public sector unions, bank employees, insurance employees, electricity workers, transport workers, and unorganised labourers. They are together participating in the strike today. When such a broad alliance is mobilised, it signals policy failure. Instead of dialogue, the Government has chosen dominance. Instead of tripartite consultation, it has chosen notification governance.

Madam, in the UPA Government - the UPA Government was a pro-labour Government - we introduced MGNREGA guaranteed rural employment. Tripartite consultations were respected. Social security boards for unorganised workers were strengthened. Right to information empowered workers. The Food Security Act ensured household stability. Wage protections were improved. But the UPA believed that economic growth must walk with social justice. The UPA did not see labour as a hurdle; UPA saw labour as a partner.

The inspection to facilitation is weakening the enforcement. The shift from labour inspection to facilitator model weakens enforcement. Without strong inspections, safety violation increases, contractual exploitation rises, working hours expand without monitoring. India has witnessed industrial accidents repeatedly. Instead of strengthening enforcement, the Government reduced oversight. The public sector is also weakening simultaneously. PSUs are being privatised. Strategic sectors are

opened. Permanent jobs are replaced with contracts. This is not reform. This is shrinking the secure employment base. If the Code was flawless, why there is a need for an amendment? Why there is retrospective clarification? Are we correcting draft error or correcting public backlash? Labour law cannot be an experimental policy. It determines livelihood security of crore and crores of workers.

There is an ideological divide between the UPA and the NDA. The NDA model emphasises deregulation, corporate concentration, weak unionisation, and flexible labour markets. The UPA Government and Congress party stand for inclusive growth, social protection, tripartite dialogue, and a commitment to the welfare State. These are the differences between the UPA and the NDA, between the Congress party and the BJP.

Madam, our demand is that the Industrial Relations Code (Amendment) Bill be withdrawn; that the 100-worker threshold limit for retrenchment approval be restored; that collective bargaining recognition be strengthened; that universal social security, including unemployment insurance, be guaranteed; that the right to strike be protected as a democratic instrument; and that mandatory tripartite consultation be ensured before any labour reform.

Chairperson Madam, on this 12th of February, that is, today, when workers across India are on strike, let Parliament not stand isolated from the people. A nation that weakens its workers weakens its future. You cannot build a developed India on insecure labour. Development without dignity is exploitation. Growth without protection is injustice. This Bill must be reconsidered. It must be reviewed. It must be withdrawn. Stand with the workers. The entire Opposition stands with the workers. Stand with justice. Stand with the Constitution.

Thank you.

श्री दर्शन सिंह चौधरी (होशंगाबाद) : माननीय सभापति जी, आज मैं औद्योगिक संबंध संहिता (संशोधन) विधेयक, 2026 के बारे में कुछ बातें सदन के समक्ष रखना चाहता हूं ।

सभापति जी, कंपनियों के नए इंडस्ट्रियल रिलेशन्स कोड के बारे में जानकारी होना बहुत आवश्यक है । इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, 2020 भारत की संसद के दोनों सदनों में पास हुआ और सितम्बर, 2020 में इसे महामहिम राष्ट्रपति जी की मंजूरी मिली । यह कोड अभी मौजूद तीन एक्ट्स यानी ट्रेड यूनियन एक्ट, 1926, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर, 1946 और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, 1947 को बदलकर, रद्द करके समेकित रूप से तैयार किया गया है । इससे देश के मज़दूरों का हित होगा ।

कंपनियों को नए आईआर कोड, 2020 के बारे में जानना चाहिए । इस कोड का मकसद प्रोग्रेसिव लेबर रिफार्म्स को लागू करके कर्मचारियों और मालिकों के अधिकारों की रक्षा करते हुए बिजनेस करने में आसानी लाना है । इसका मकसद इंडस्ट्री में सही विवाद सुलझाने के तरीकों में तालमेल करके तरक्की लाना है । कोड के नियम सीधे तौर पर ऑर्गेनाइजेशन पर असर डालते हैं । इनमें मुख्य रूप से कुछ एरियाज़ शामिल हैं जैसे ट्रेड यूनियन से जुड़े कानून, रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन के कैंसलेशन और इनकॉर्पोरेशन पर कमेटी बनाना, बातचीत करने वाली यूनियन को पहचानना, इंडस्ट्रियल जगह पर नौकरी से जुड़ी शर्तों के हिसाब से स्टैंडिंग ऑर्डर तैयार करना, रजिस्ट्रेशन करना, पालन करना, कर्मचारी, नौकरी और काम करने की शर्तों की परिभाषा, छंटनी और लेऑफ प्रॉसेस का मुआवजा, काम की शर्तों में बदलाव, बिजनेस बंद करने के नियम और इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल बनाना । यह अपने आप में बहुत बड़ा कदम है । इससे न केवल पूरे देश की अर्थव्यवस्था सुधरेगी बल्कि मजदूरों को आगे लाने में सहायता मिलेगी । इसमें शिकायतों, इंडस्ट्रियल झगड़ों का निपटारा होगा और गैर-कानूनी हड़ताल एवं तालाबंदी का सॉल्यूशन होगा । एक समय था जब विपक्षी लोग और विरोधी विचारधारा के लोग नारे लगाते थे - चाहे जो मजबूरी हो, मांग हमारी पूरी हो ।

मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, चाहे इनको हम ट्रेड यूनियन के लीडर कहें या आदरणीय नेता कहें, आदरणीय दत्तोपन्त ठेंगडी जी को, जिन्होंने कहा था - देश हित में करेंगे काम और काम के लेंगे पूरे दाम । इसे सही रूप देने का काम यदि किसी ने किया है तो इन्होंने ही किया है । इसमें गैर-कानूनी हड़ताल, तालाबंदी जैसे अपराधों की बनावट में हड़ताल करने वालों और लोगों की सुरक्षा के लिए, गलत लेबर प्रेक्टिस की परिभाषा, एम्प्लायर और एम्प्लायर की ट्रेड यूनियन की तरफ से, वर्कर और वर्कर की ट्रेड यूनियन की तरफ से खास प्रोविजन्स किए गए हैं ।

आईआर कोड, 2020 कुछ खास नियमों और कम्पनियों पर असर भी डालता है, जिसमें कर्मचारी और निश्चित अवधि के रोजगार को फिर से परिभाषित किया गया है । अब कर्मचारी का

अर्थ किसी औद्योगिक प्रतिष्ठान द्वारा नियोजित कोई भी व्यक्ति, जो किराये या उसके नाम के लिए कोई कुशल, अर्द्धकुशल या अकुशल, मैनुअल परिचालन, पर्यवेक्षकीय, प्रबंधकीय, प्राशासनिक, तकनीकी, लिपिकीय कार्य करने के लिए नियोजित हो, चाहे रोजगार की शर्तों में स्पष्ट रूप से नियोजित हो, इसमें उपयुक्त रूप से सरकार द्वारा कर्मचारी घोषित किया गया व्यक्ति भी शामिल है । यह अपने आप में मजदूरों में उत्साह जगाने वाला होगा, लेकिन इसमें संघ के सशस्त्र बलों का कोई सदस्य शामिल नहीं है । निश्चित अवधि के रोजगार और एक निश्चित अवधि के रोजगार के अनुबंध पर कर्मचारी की नियुक्ति है । यह भविष्य में किसी भी विवाद या नियमित अनुपालन के लिए कर्मचारी या नियोक्ता को स्पष्टता और अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करती है ।

आदरणीय मंत्री महोदय ने इसमें वर्कमैन का नाम बदलकर वर्कर कर दिया है, जिसमें उसका सम्मान भी रखा गया है । इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ । ऑर्गेनाइजेशन पर अब इंडस्ट्री में काम करने वाले सभी लोगों के लिए जेंडर न्यूट्रल रेफरेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं ।

आईआर कोड, 2020 स्ट्राइक, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट की साफ परिभाषा देता है । अब स्ट्राइक का मतलब है कि किसी भी इंडस्ट्री में काम करने वाले 50 प्रतिशत कर्मचारियों को मिलाकर काम बंद करना या मिलकर मना करना या आम सहमति से मना करना इंडस्ट्री के लिए बहुत जरूरी है । पहले कोई भी छोटे-छोटे समूह या दो-चार लोग मिलकर कहीं भी फैक्ट्री में जाकर इस तरह का काम कर देते थे । अब इस प्रकार का काम नहीं होगा । यह इंडस्ट्री के लिए और देश के लिए बहुत ही आवश्यक था । मैं इसके लिए धन्यवाद करता हूँ । यह इंडस्ट्री के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि कुछ झगड़े, जो नाखुश कर्मचारियों के हड़ताल में बदल जाते हैं, उससे प्रॉसेस में

रुकावट आती है । इसलिए आईआर कोड कहता है कि कोई भी इंडस्ट्रियल जगह, जहां कम से कम 100 या उससे अधिक मजदूर काम करते हैं, पिछले 12 महीनों में किसी भी दिन काम कर चुके हैं, वहां एक वर्कर्स कमेटी होनी चाहिए । इसके पहले वर्कर्स कमेटी काम नहीं करती थी । इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। वर्कर्स कमेटी को कर्मचारियों और मालिक के बीच अच्छे रिश्ते बनाने चाहिए । इस तरह के मामलों को संभालना चाहिए और हल निकालना चाहिए ।

आईआर कोड, 2020 के मुताबिक 20 या उससे ज्यादा मजदूरों को काम पर रखने वाली हर इंडस्ट्रियल जगह पर अलग-अलग शिकायतों से होने वाले झगड़ों को सुलझाने के लिए एक शिकायत निवारण कमेटी होनी चाहिए । इसके पहले इस प्रकार के प्रावधान नहीं थे । अब छोटी फैक्ट्रियों में भी यह कमेटी काम करेगी । अब मजदूर सुलह अधिकारी के पास जाने की बजाए कमेटी के सामने अपनी शिकायत उठा सकता है, जिससे उनको त्वरित निदान मिल सकता है ।

एक प्रावधान यह भी किया गया है कि इंडस्ट्रियल जगह पर, जहां रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन हो, जहां नेगोसिएशन यूनियन या नेगोसिएशन काउंसिलिंग हो सकती है । ऑर्गेनाइजेशन्स इस कदम का स्वागत करेंगे क्योंकि ट्रेड यूनियन्स को सेंट्रल लेवल पर मान्यता देने के लिए लम्बे समय से चली आ रही कानूनी दिक्कत खत्म हो जाएगी । आईआर कोड, 2020 लागू करते हुए यह कहता है कि हर इंडस्ट्रियल जगह, जहां 300 या 300 से ज्यादा वर्कर्स काम करते हैं या पिछले 12 महीनों से किसी भी दिन काम करते थे, उन्हें सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर बनाना और पालन करना होगा । इससे पहले इस प्रकार का सर्टिफिकेशन नहीं था । छोटे ऑर्गेनाइजेशन्स को स्टैंडिंग ऑर्डर से राहत मिलती है क्योंकि पहले से लागू हुए नियम के अनुसार एम्प्लॉइज लिमिट एक सौ से ज्यादा थी । अब आईआर कोड कहता है कि फाइनली सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर को सर्टिफाई, मोडिफाई या उनका पालन न करने पर कम से कम 50 हजार रुपए का जुर्माना लगेगा, जो दो लाख रुपए तक बढ़ाया जा सकता है, जिससे यदि किसी फैक्ट्री में अनावश्यक अवरोध आता है, तो उस पर हमेशा के लिए रोक लगेगी। लगातार जुर्म करने पर हर दिन दो हजार रुपए का एक्स्ट्रा जुर्माना लगेगा । फाइनली सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर का बाद में उल्लंघन करने पर चार लाख रुपए तक का जुर्माना और तीन महीने तक की जेल की सज़ा हो सकती है । यह अपने आप में ऐसा कानून है, जिससे हमारी संस्थाओं को और मजबूती मिलेगी ।

इसके साथ ही साथ संगठन पालन करने के बारे में ज्यादा सावधान रहना होगा । स्टैंडिंग आर्डर के साथ आईआर कोड, 2020 में सस्पेंशन की तारीख में 90 दिनों की समय सीमा दी गई है। अगर किसी नियोक्ता के पास उसके वर्कर द्वारा किए गए गलत काम की शिकायत की जाती है या आरोपों की जांच या पूछताछ पेंडिंग रहने पर सस्पेंड किया जाता है, तो कोई भी जांच या पूछताछ पूरी की जा सके । कमर्चारियों और नियोक्ताओं के लिए समय-सीमा दी गई है, जो विवाद को जल्दी सुलझाने के लिए एक फ्रेमवर्क बनाती है ।

आईआर कोड, 2020 के अनुसार इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में अब दो सदस्य होंगे - पहला, ज्यूडिशियल सदस्य होगा और दूसरा, एडमिनिस्ट्रेटिव सदस्य होगा । अब इंडस्ट्रियल विवाद सुलझाना ज्यादा सही और निष्पक्ष होगा, क्योंकि पहले यह एक सदस्य वाले ट्रिब्यूनल द्वारा किया जाता था और उसमें मनमानी की संभावना होती थी । अब यह खत्म कर दिया गया है । सरकार को वर्कर रीस्किलिंग फंड के नाम से एक फंड बनना चाहिए, जिसमें इंडस्ट्रियल जगहों पर नियोक्ताओं का योगदान हो, जो छंटनी के ठीक पहले वर्कर द्वारा ली गई 15 दिनों की आखिरी सैलरी के बराबर हो । छंटनी का सामना कर रहे वर्कर्स के लिए यह प्रावधान एक वरदान है । अब उनके पास खुद को फिर से ट्रेन करने का विकल्प है । पहले ऐसा नहीं होता था । वर्कर्स रीस्किलिंग का कोई प्रावधान नहीं था ।

आईआर कोड, 2020 में पहले नोटिस देने का प्रावधान था । जहां किसी भी इंडस्ट्रियल जगह पर काम करने वाला कोई भी व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट तोड़कर व हड़ताल करने से 60 दिन पहले या नियोक्ता को 14 दिन पहले नोटिस

दिए बिना हड़ताल पर नहीं जाएगा । यह संगठन को अचानक होने वाले अनदेखे नुकसान से बचाता है । इंडस्ट्रियल कामकाज में एक स्ट्रक्चर लाएगा, जो पहले सिर्फ पब्लिक यूटिलिटी सर्विस इंडस्ट्री पर लागू होता था । अब वह इसमें लागू कर दिया गया है, इसलिए मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं ।

कोड सेन्ट्रल या राज्य सरकार के लिए प्रावधान बनाता है । वे पब्लिक के हित में किसी भी नए क्लास के इस्टैब्लिशमेंट को कोड के किसी भी या सभी के लिए छूट दे सकें । मैं कोड की इस पद्धति का स्वागत करता हूं । औद्योगिक संबंध संहिता (संशोधन) विधेयक, 2026 पूरे भारतवर्ष में लागू होगा । अभी इसके लागू होने की असली तारीख नोटिफाइड नहीं की गई है, लेकिन दूसरे मौजूदा एक्ट के नाते किसी भी चीज को दूर करता है । अपने इंडस्ट्रियल नियमों और कानूनों के तौर पर सही तरीके से इसको सावधानी, असरदार या वैल्यू बेस्ड सलाह देगा ।

माननीय सभापति महोदया, मैं एक और बात क्वोट करना चाहता हूं । दिनकर जी ने एक बात कही थी, जो यहां पर फिट होती है -

शांति नहीं तब तक जब तक सुख-भाग न सबका सम हो

नहीं किसी को बहुत अधिक हो और नहीं किसी को कम हो ।

लेबर्स को यथार्थ न्याय देने का काम किया गया है । आईआर कोड, 2020 ने यह किया है । मैं औद्योगिक संबंध संहिता (संशोधन) विधेयक, 2026 का पूर्णतया समर्थन करता हूं ।

श्री अफ़ज़ाल अंसारी **(गाजीपुर) :** सभापति महोदया, आपने मुझे औद्योगिक संबंध संहिता (संशोधन) विधेयक, 2026 पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं ।

महोदया, हमारे यहां केवल इस संशोधन की सामग्री के बारे में चिंता नहीं हो रही है, बल्कि सरकार की विधायी कार्यशाली को लेकर भी प्रश्न उठ रहा है । वर्ष 2020 में सरकार ने बहुत दावे किए थे । कहा गया है कि श्रम संहिता एक ऐतिहासिक सुधार है । आज पांच वर्ष बीत गए हैं और उन प्रावधानों को संशोधित व निरस्त करने की नौबत आ गई है । यदि आप पहले चाहते, तो उन्हें ठीक कर सकते थे । यह सुधार नहीं है, बल्कि जल्दबाजी में बनाया गया एक कानून है और बाद में स्वीकार की गई एक गलती है । जब सरकार एक स्थिर श्रम कानून भी सही तरीके से नहीं बना पाती है, तो देश के मजदूर उसके वादों पर कैसे भरोसा करेंगे?

हमारे देश में जो मजदूर वर्ग है, उसमें लगभग 90 प्रतिशत असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर हैं । जिसे संगठित क्षेत्र कहा गया है, उसमें भी दोनों सेक्टर्स हैं । एक तरफ पब्लिक सेक्टर है और दूसरी तरफ प्राइवेट सेक टर है । सरकार ने अपने इस संशोधन विधेयक के माध्यम से, जो कुछ कमियां थीं, उन पर पर्दा डालने के लिए कुछ नए तरीके अपनाए हैं । जब छंटनी को आसान कर दिया गया है और यूनियन की आवाज का गला घोंटने का प्रयास किया गया है, तब इससे स्पष्ट है कि इस संशोधन के बाद मजदूरों की स्थिति और कमजोर होगी ।

भारत में श्रम नीति सिर्फ एक आर्थिक मामला नहीं है, यह एक सामाजिक न्याय का प्रश्न है। दुनिया ने देखा कि कोविड के समय मजदूर को अकेला छोड़ दिया गया था । अपनी गठरी-मुठरी, अपने बच्चे को गोद में समेटे किस तरह से दर-दर भटकता हुआ वापस अपने गांव को जाने के लिए मजदूर निकल पड़ा । सरकार ने उन मजदूरों के जाने की कोई व्यवस्था तो नहीं की, हां, उनके रास्ते में तमाम तरह की बाधाएं खड़ी की गईं । उन पर इस तरह से आक्रमण किए गए, जैसे वे कोई विदेशी घुसपैठिए हों । जगह-जगह रोककर उनके ऊपर लाठियां बरसाई गईं ।

उनके ऊपर कीटनाशक दवाओं का छिड़काव किया गया, जैसे वे इंसान नहीं, बल्कि कोई वस्तु हों । ऐसी स्थिति में हमारे देश के मजदूरों में इस सरकार के प्रति बहुत ही निराशा है । हर तरफ इस सरकार के रवैये से लोगों में दुख है और लोगों में सरकार के प्रति एक आक्रोश है ।

श्रम संहिता उद्योग को ढील दी जा रही है और मजदूरों को असुरक्षा प्रदान की जा रही है । इसमें मजदूर की नौकरी सुरक्षित नहीं है । अब 300 तक की संख्या वाले कारखानों और कंपनियों में बिना सरकार की अनुमति से जब चाहे, जिसे भी निकाला जा सकता है । उसकी फरियाद सुनने वाला कोई भी नहीं है । मजदूरों की हड़ताल पर भी रोक है । उन पर अपनी आवाज उठाने पर भी इतना प्रतिबंध लगा दिया गया है कि मजदूर कराह करके रह जाता है । यह वह मजदूर है, जो सही मायनों में इस देश की बुनियाद है, इस देश की नींव है ।

सभापति महोदया, हम यहां सदन में बैठते हैं, मजदूरों के हितों में बजट में प्रावधान करते हैं। समाधान लाने के प्रयास में सरकार बार-बार अपने ही बनाए नियमों में बार-बार संशोधन करती रहती है । मैं चार पंक्तियों के ज़रिए यह बात रखना चाहता हूं :-

यह संसद है, यहां वायदों की खेती लहलहाती है,

बजट में खूबसूरत शब्दों के मोती सजाती है,

वहां फुटपाथ पर मजदूर की तकदीर सोती है,

और यहां कागज पर जन्नत रोज ही तामीर होती है ।

सभापति महोदया, हम तो यह कहना चाहते हैं कि मजदूर, जो अपना श्रम और अपना पसीना बहाता है, उसे जब आज अपने प्रांत में दो जून की रोटी नहीं मिल पा रही है, तो वह पलायन कर रहा है । हम उत्तर प्रदेश से आते हैं । उत्तर प्रदेश और बिहार की तो यह स्थिति है कि करोड़ों की संख्या में मजदूर अपने घर पर अपने बीमार मां-बाप को छोड़कर दो पैसे की रोज़ी के लिए घर से निकल जाता है, बाहर चला जाता है । हमारी सरकार ढिंढोरा पीटती है कि भर्ती इज़रायल में हो रही है और भर्ती रशिया और यूक्रेन में हो रही है । वहां बम के गोले गिर रहे हैं, वहां बस्तियां खंडहर बना दी जा रही हैं । अपने जीवन को जोखिम में डालकर हमारा मजदूर उस दिशा में भी बढ़ रहा है, ताकि, वह किसी तरह से अपने परिवार की जिम्मेदारियों को निभा सके ।

मैं अंत में इस सरकार से ये दो पंक्तियां भी कहना चाहता हूं :-

ये हैं बुनियाद के पत्थर, इन्हें न छेड़ो तुम,

ये हटेंगे, तो इमारत भी दरक जाएगी ।

सभापति महोदया, इस सरकार को गंभीरता से इन मजदूरों के हितों में सोचना चाहिए । इन्हीं मजदूरों के परिश्रम का नतीजा है कि आज हमारे देश की 140 करोड़ की आबादी होने के बावजूद ये मजदूर, जिन्हें सरकार कोई रोजगार तो नहीं दे सकी, लेकिन, वे अपने श्रम, अपनी मेहनत के बल पर अपने परिवार को दो जून की रोटी देने का प्रयास कर रहे हैं । ऐसे में इस तरह के जो संशोधन लाए जा रहे हैं, इनमें इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि यदि उद्योगपतियों के हितों को ध्यान दिया गया और अगर मजदूरों के अधिकारों में कटौती की गई, उनके अधिकारों को नष्ट करने का प्रयास किया गया, तो यह सरकार एक बहुत बड़ी भूल करेगी, जिसे देश का मजदूर कभी माफ नहीं करेगा ।

आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ।

SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): Hon. Chairperson, Madam, on behalf of my Party, I really oppose this Amendment Bill. I am continuing to say what Shri Afzal Ansari has just now said. The main Act has lost the force. The Industrial Relations Code has taken away the entire livelihood of the labourers of the country. What have we achieved? After agriculture, the main strength of the country is labourer. In this House, we never get the chance or scope to discuss about the labourers fate and their condition at all, nor is the Labour Ministrys Budget discussed. This is the time today that we have got the chance.

Madam, the entire scenario has been changed within four to five years in India. There was a change from contract of service to contract for service. Now all the employers are more interested to give the contract for service. A contractor may be even the Government. The contract for service means it is directly coming under the employer. Because of this, the workers who are not appointed by the contractor neither get gratuity, nor provident fund, nor ESI, nor any other security in their service. After the Independence, the country brought the Constitution where there was not only security of employment but also social justice, irrespective of who is giving the employment. The earlier system of Government employment is gone. This is all privatization and then contract for service with Rs.8,000 to Rs.10,000 per month. Is the Government making joke of labourers in this country? Do they feel nice or happy? What protection have you given them in the Industrial Relations Code? All the safety measures of previous Labour Code, Industrial Disputes Act etc. have been taken away. All powers have been given to the employer.

My friend was talking about the punishment. What punishment are you talking about? Today, you bring the law for punishment of three months to six months just to impress the people. Next year, you will bring Jan Vishwas Bill to become friendlier with the industrialists and take away all kinds of punishment. What a peculiar situation of our country is! I must appreciate this. The world will appreciate how this Bill brought in the forum of Parliament controls the employer etc. and there will be punishment for six months, one year or two years. Within two or three years, the Jan Vishwas Bill will come. We will become friendlier with the industrialists and punishment will be removed.

You are absolutely making fun of the Parliament and of the country.

Madam, about the trade union, the Trade Union Act is going to be replaced. The Industrial Employment Standing Orders Act has been replaced and the Industrial Disputes Act, 1947 has also been replaced. I would like to ask what remains in the country itself? If you do not recognize the trade union itself, why are you afraid of the trade union? That means, you do not want democracy in the country. You do not want that some persons should be there who will be united together and fight against the employer and against the Government. You do not want this. You do not want that a member of the trade union shall espouse the cause of another member. You do not want the trade union to go the Tribunal and other places to fight the cases of the workers. You do not want the recognition of the trade unions. I would like to ask what remains.

Madam, now, I would come to the Industrial Employment Standing Orders Act. It speaks about the conditions of service for the employees. This has gone. Then I would like to ask what remains.

Regarding the Industrial Disputes Act, I do not know whose idea is this and who has brought it. You are having a majority. Therefore, you will do whatever you would like to do. I cannot think about this. A workmans right under the Industrial Disputes Act, is so much recognized, but you have ignored everything. This is the unfortunate part.

मैडम, थोड़ा और समय दीजिए । लेबर में तो हम लोग कभी बोल नहीं सकते हैं । कभी डिस्कश भी नहीं हुआ । Sometimes you hear the criticism, you do not like it; I understand that.

I can tell you that these are your heydays. Every day will not be the heyday. You will regret. The day will come when the workers, the agricultural labourers will show their power by giving the mandate. Is this the way that the workers rights are taken away? This is not the way the countrys workers suffer during their services. Is this the way *Henry* rules will be made applicable? Is this the way the Government can remain in favour of the industrialists? Is this the way when the Government throws the workers from the country itself? My friend was talking about how much. It is 2.5 crore to 3 crore labourers who are working in the foreign countries. I would like to ask whether this is the achievement of Mr. Narendra Modis Government? Is it सबका साथ-सबका विकास? 3 crore or 3.5 crore unskilled labourers are working. Go to Dubai or go to any place in the country, you will see that the labour force has gone. You have destroyed the labourers. You have destroyed the industries. You have destroyed the rights of the agriculturists. You have destroyed the rights of the labourers. You are only running after the two industrialists from Gujarat.

दो गुजराती आये प्रधानमंत्री और गृहमंत्री आए । * ये चारों मिलकर देश चलाते हैं और कोई चीज नहीं है ।

SHRI APPALANAIDU KALISETTI (VIZIANAGARAM): Respected madam,

I rise today to strongly support the Industrial Relations Code Amendment Bill, 2025 a reform that reflects the bold vision of our Honble Prime Minister, Shri Narendra Modi ji. Under his leadership, India has modernised the foundation of Indias economic architecture. The consolidation of 29 fragmented and colonial-era labour laws into four comprehensive Labour Codes mark one of the most significant governance reforms since Independence. These older laws were drafted between the 1930s and 1950s and were overlapping, contradictory, and litigation-prone. They created compliance burdens for industry and uncertainty for workers. The new framework replaces confusion with clarity, multiplicity with simplicity, and red tape with digital transparency.

The Industrial Relations Code, 2020, which replaced the Trade Unions Act of 1926, the Industrial Employment (Standing Orders) Act of 1946, and the Industrial Disputes Act of 1947, represents a decisive shift toward a modern labour governance system. For decades, employers struggled with multiple registrations and inspections, while workers often remained outside formal protections. Today, through single registration, single licence, and single return system, we are creating a regime that encourages modernisation and investment.

These reforms are not anti-worker as alleged by few members, they are pro-worker and pro-growth. For the first time in Indias legislative history, gig workers, platform workers, migrant labourers, and those in the unorganised sector are recognised within the social security framework. Social security coverage has expanded substantially from 19% in 2015 to over 64% in 2025. This is not rhetoric; this is measurable progress. These reforms are transformative in a country where nearly 80% of the total workforce is engaged in the unorganised sector.

The Codes also recognise the changing nature of work in the 21st century. Our economy is increasingly digital, mobile, and platform-driven. The old Acts did not even acknowledge gig workers. Today, Indias legal framework does. These reforms also aim to increase formal employment. For many years millions of workers lacked written contracts, minimum wage protection, and social security coverage. By simplifying compliance and encouraging formal hiring, we are incentivising businesses to bring workers into the organised sector.

The Codes also promote womens workforce participation. By removing outdated restrictions on night shifts, reinforcing equal pay provisions, and introducing safety-linked reforms, we are enabling women to participate more fully and safely in Indias growth story. Honourable Chairperson, These national reforms find a strong and proactive partner in Andhra Pradesh under the dynamic leadership of Shri N. Chandrababu Naidu garu. Andhra Pradesh has always positioned itself as a reform-oriented, industry-friendly state.

The state has already aligned its laws with the new labour codes and amended provisions under the Factories framework in June 2025 to enhance industrial flexibility and improve Ease of Doing Business. This demonstrates administrative agility and policy foresight. Between 2020 and 2025, over 3.6 lakh MSMEs have been registered in Andhra Pradesh. The State aims to reach 12 lakh MSMEs by 2027. For a state aspiring toward Swarnandhra Vision 2047, simplified labour compliance is not just a reform it is an economic necessity. Lower compliance costs, faster approvals, and digital processes allow small enterprises to focus on production, innovation, and job creation rather than paperwork.

Under Prime Minister Modi ji and Andhra Pradesh under Chandrababu Naidu garu work in alignment this double engine sarkar accelerates growth, attracts investment, and generates employment. However, while supporting this Amendment Bill, it is equally important to address legitimate concerns with balance and responsibility. One key issue has been the increase in the threshold for prior government permission for layoffs and closures from 100 to 300 workers. While this provides flexibility to industry and encourages scaling up, a calibrated approach could further strengthen confidence. Sector-specific or phased implementation, combined with stronger severance pay, reskilling programs, and redeployment support, can ensure that flexibility does not come at the cost of worker security.

Similarly, the recognition of gig and informal workers under the Social Security framework is historic but recognition must be backed by real implementation. Contribution rates must be clearly notified. Benefit packages must be defined. A transparent funding pool involving government, employers, and platform companies must be operationalised. Digital registration should translate into tangible social protection on the ground.

Reform must be both growth-oriented and humane. Flexibility for enterprise and dignity for labour must move together. Respected madam, India today stands at a

pivotal moment in its economic journey. We aspire to become a developed nation by 2047. That ambition requires modern labour markets, empowered workers, competitive industry, and cooperative federalism. The Industrial Relations Code Amendment Bill, 2025 strengthens this reform trajectory. It builds confidence among investors, provides clarity to employers, and extends protection to workers previously left outside the formal system.

Under the visionary leadership of Prime Minister Narendra Modi ji and with progressive states like Andhra Pradesh leading implementation on the ground, these reforms will not only simplify compliance, they will transform livelihoods. Let us move forward with confidence, compassion, and conviction.

Thank you Madam.

श्री अरविंद गणपत सावंत **(मुम्बई दक्षिण) :** माननीय चेयरमैन मैडम, मैं बहुत गंभीर और दुखी हूं, क्योंकि यह सरकार बार-बार बता देती है कि हम कैसे धनवानों की सुरक्षा करते हैं, उद्योगपतियों की सुरक्षा कैसे करते हैं, न कि मजदूरों की सुरक्षा करते हैं । मुझे बहुत दुख है कि मैं जब मंत्री था, तभी भी यह लाने की कोशिश हुई थी, तब मैंने आदरणीय प्रधान मंत्री जी से कहा कि यह गलत होगा । पता नहीं उस समय उन्होंने मुझे आदर भाव से कहा कि यह गलत है, अभी मत लाना, सावंत जी से बात करके लाना । फिर भी जैसे मैंने दे दिया, तो यह वापस आ गया । आज इसमें जो भी प्रावधान हैं, वे इतने खतरनाक हैं कि आगे चलकर आप ये जो तीनों कानून रिपील कर रहे हैं, Trade Unions Act, 1926; Industrial Employment (Standing Orders) Act, 1946; Industrial Disputes Act, 1947; Industrial Relations Code, 2020. इसका क्या परिणाम हुआ है, आपने देखा है या नहीं? मनसुख मांडविया जी मेरे मित्र हैं । मैं बहुत व्यथित अंतःकरण से बोल रहा हूं, क्योंकि मैं भारतीय कामगार सेना का अध्यक्ष हूं । वंदनीय शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे जी ने इसका निर्माण किया कि लोगों को रोजगार मिले, नौकरियां मिलें । आगे चलकर आदरणीय उद्धव जी ठाकरे साहब ने उसको इतना प्रभावित किया कि सबको सुरक्षा मिले । आपने ये दोनों चीजें ही हटा दीं । आज आप देखेंगे कि हमारी सरकार और पब्लिक सेक्टर्स में नौकरियां होती थीं । क्या आप अपनी छाती पर हाथ रखकर कह सकते हैं कि बैंकों में नौकरियां बढ़ गईं, इंश्योरेंस में नौकरियां बढ़ गईं? टेलीकॉम की क्या अवस्था है? एमटीएनएल जिंदा है या मुर्दा है, पता नहीं चल रहा है । लोग वहां काम करते हैं । मैं खुद वहां नौकरी करता था । आज मुंबई शहर में वहां 400 लोग हैं । सारा प्राइवेटाइजेशन हो गया है । हर एक चीज कॉन्ट्रैक्ट पर है ।

मैडम, क्या आपको पता है कि खासकर तीन तरह की लेबर होती है । एक है केजुअल लेबर, दूसरी है कॉन्ट्रैक्ट लेबर और तीसरा होती है फिक्सड टर्म लेबर । क्या आपने कभी इनके बारे में सोचा? मैंने बताया था कि रक्षा मंत्री ने नेवल डॉक में जॉब्स दी हैं, पर उनकी प्रक्रिया अभी तक पूरी नहीं हुई है । 20 से 26 साल तक केजुअल लेबर- केजुअल का मतलब यह है कि मान लीजिए किसी को फर्नीचर बनाना है, काम पूरा हो गया, तो अब केजुअल काम खत्म हो गया, पर 20 से 26 वर्ष तक लोग केजुअल लेबर के रूप में काम कर रहे हैं । नेवल डॉक, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने आज तक उनको परमानेंट नहीं किया । सबसे बड़ी दुख की बात यही है । कॉन्ट्रैक्ट लेबर के बारे में मान लीजिए कि मैंने अभी-अभी एक एग्रीमेंट कर दिया । एग्रीमेंट में उस कंपनी का नाम है । उस कंपनी के यहां 232 कर्मचारी हैं । मैंने पूछा कॉन्ट्रैक्चुअल कितने हैं, तो ढाई हजार कर्मचारी कॉन्ट्रैक्ट लेबर के रूप में काम कर रहे हैं । क्या उनके जीवन और भविष्य के बारे में कभी आपने सोचा? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं ।

एक कॉन्ट्रैक्ट लेबर है, हो सकता है कि वह किसी अच्छे प्राइवेट सेक्टर में हो या आईटी सेक्टर में हो । उसे 50 हजार रुपये तनख्वाह मिलती है । वह बैंक में गया और बोला कि मुझे मकान लेना है । मकान लेने के लिए उसने कर्जा मांगा । मैडम जी, बैंक कहेगी कि दे देंगे, आपकी तनख्वाह अच्छी है, पर उससे पूछेगी कि क्या आप परमानेंट कर्मचारी हैं? तो वह कहेगा कि I am on a contract. He will not get the loan. उसका पक्का घर जिंदगी भर नहीं होगा । क्या आपको पता है कि आज इंफोसिस, विप्रो, टीसीएस, अमेज़न, सभी ने कर्मचारियों को निकाला । उनका क्या हुआ, क्या कभी आपने सोचा? जो कर्मचारी वहां काम करते थे, उनको अच्छी नौकरी और तनख्वाह मिल रही थी । उनमें बहुत सारे लोगों की लव मैरिज हो गईं । दोनों की तनख्वाह अच्छी है । मकान ले लिया, बड़ा घर ले लिया, फ्लैट ले लिया, शादियां हुईं । अब ऐसी परिस्थिति आई है कि उनमें जो कुछ भी बचे हैं, उनको कहते हैं कि 50 प्रतिशत तनख्वाह पर काम करो ।

<u>13.00 hrs</u>

वे यह तनख्वाह लेकर कर्ज कैसे वापस करेंगे? कभी आपने यह सोचा है कि उन्होंने जो घर लिया है, वे उसका लोन कैसे वापस करेंगे? आपने हर एक को असुरक्षित कर दिया है । सबसे बड़ी बात यह है कि आपने हक तो छीन लिया है और असुरक्षित भी कर दिया है ।

मैडम जी, आपको पता है कि फिक्स्ड टर्म में क्या होता है? मेरी नौकरी दो वर्ष के लिए लग गई । मझगांव डॉकयार्ड, मैं सरकारी उद्यमों का नाम लेकर कहता हूं । वहां लोग फिक्स्ड टर्म पर सात टर्म्स, यानी 14 वर्ष से सर्विस कर रहे हैं, लेकिन 14 वर्ष की नौकरी के बाद भी उनकी नौकरी परमानेंट नहीं हुई है । फिर उन्हें कहा जाता है कि आप एग्जाम दीजिए । जितनी वैकेन्सीज हैं, उतने लोगों को नौकरी में ले लेंगे । क्या आपने उनके जीवन के बारे में सोचा है? वे लोग शादी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनकी जॉब परमनेंट नहीं है । पता नहीं कल वे बोल देंगे कि यह संस्थान बंद हो गया है । आपने ये कौन-से अपने तरीके अपनाए हैं कि हमारी जिंदगी से शाश्वतता ही छीन ली ।

मैं एसईजेड के बारे में कहना चाहता हूं । आपका एसईजेड बहुत प्यारा है, क्योंकि यह उद्योगपतियों को चाहिए । वहां आपका लेबर लॉज ही लागू नहीं है । आप छाती पर हाथ रख कर कहिए कि एसईजेड में लेबर लॉज लागू है । वहां भी कानून नहीं है । सबसे बड़ी बात यह है कि ऐक्सिस बैंक में लोग दस-दस वर्ष तक काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी नौकरी परमानेंट नहीं हो पा रही है । वे उसी तनख्वाह पर काम कर रहे हैं । यहां क्या ग्रोथ है? विकसित का मतलब है विकास, लेकिन विकास कैसे होगा? मैं दस वर्षों से उसी तनख्वाह पर काम कर रहा हूं । तनख्वाह बढ़ाने के लिए एग्रीमेंट नहीं है, लेबर लॉज नहीं हैं, ट्रेड यूनियन एक्ट से ट्रेड यूनियन नहीं बना सकते हैं, यूनियन से नेगोशिएट नहीं कर सकते हैं, यूनियन बात करने गई तो वे कहते हैं कि आप तो हमारी एम्प्लॉइज ही नहीं हैं । आप वेंडर से बात करें । वेंडर कहता है कि मैं यह देने के लिए तैयार हूं लेकिन मुझे यह बैंक नहीं देती है । आप बताइए कि हम क्या करें?

मैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के बारे में कहना चाहता हूं । स्टाफ सिलेक्शन कमीशन सरकारी नौकरी देने वाला एक संस्थान है । हमारे मुंबई में इनकम टैक्स विभाग में 1200 लोग भर्ती हुए हैं । 1200 लोगों में सिर्फ तीन लोग मराठी, महाराष्ट्र के हैं । मैडम, आपको यह जानकर सरप्राइज होगा कि जो बाकी जो लोग वहां आए हैं, वे लोग टाइपिंग नहीं कर सकते हैं, अंग्रेजी नहीं लिख सकते हैं, फिर वे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में कैसे पास हुए हैं? मैंने इसकी इन्क्वारी मांगी थी, लेकिन आज तक आपने इसको नहीं किया है । एक ही गांव से, एक ही जगह से यह कैसे हो गया? (व्यवधान) मैडम जी, आप मुझे बोलने के लिए दो मिनट का समय दे दीजिए । यही

तकलीफ है कि यह बहुत गंभीर विषय है । हमें कभी बोलने के लिए समय दे दीजिए । मैं अपनी बात दो मिनट में समाप्त करता हूं ।

अभी मैं यहां दो-तीन मुद्दे रखना चाहता हूं । कल तक अगर किसी कारखाने में 100 कर्मचारी हों और उसे बंद करना है तो सरकार की अनुमति लेनी पड़ती थी । आपने क्या किया है? अगर वे 300 से कम होंगे तो उसे बंद कर दिया जाएगा । अगर किसी कारखाने में 299 कर्मचारी हैं और उसे बंद करना है तो इसके लिए आपकी परमिशन की भी जरूरत नहीं है । वे रास्ते पर आ गए । कभी तो आप सोचिए कि जेट एयरवेज के एम्प्लॉइज का क्या हुआ होगा, किंगफिशर के एम्प्लॉइज का क्या हुआ होगा, नोकिया के एम्प्लॉइज का क्या हुआ होगा? जो बंद हुए हैं, वहां के लोगों का क्या हुआ होगा? उनको 40 वर्ष की उम्र में कहां नौकरियां मिलेंगी? आपने ईएसआईसी को भी प्राइवेट करने के लिए सोचा है । जो एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस स्कीम के तहत आते हैं, उसे प्राइवेट करेंगे तो वह उनको कहां से पैसे देगी? एक दूसरी चीज है । (व्यवधान) मैं एक-दो मिनट में अपनी बात खत्म करता हूं ।

आपने स्ट्राइक नोटिस के बारे में यह कर दिया है कि इसका नोटिस 60 दिन पहले देना है। ऐसे नहीं होता है । जब जुल्म होता है तो रिएक्शन होता है । Newton's Third Law: Action & Reaction states that for every action (force) in nature there is an equal and opposite reaction.

If the managements action is wrong, the reaction is bound to happen in the company, आपने यह नहीं सोचा । इसलिए मैं आपसे इतना ही कहता हूं कि आपने ईएसआईसी का प्राइवेटाइजेशन करने के लिए सोचा है । अगर आप ऐसा सोचेंगे तो मुझे लगता है कि आप यह जो कानून लाए हैं, आप इसको रिपील न करें, आप आपने कानून को रिपील करें । आप जो कानून लाए हैं, उस को ही रिपील करें । हमें जो पुराने हक दिए गए थे, आप हमारे कर्मचारियों और मजदूरों का हक छिनने के लिए जो कानून लाए हैं, मैं उसका निषेध करता हूं । मैं चाहता हूं कि सरकार अंतर्मुख होकर फिर दोबारा सोचे कि क्या नौकरियां उपलब्ध हैं? आप लोग रोजगार शब्द का प्रयोग करते हैं। रोजगार और नौकरी में शाश्वत फर्क होता है । शाश्वतता से अशाश्वतता में ले कर जाने वाले आपके कानून का मैं निषेध करता हूं । मैं इन्हीं विचारों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं । धन्यवाद ।

माननीय सभापति **:** सभा की कार्यवाही दो बजे तक के लिए स्थगित की जाती है ।

13.04 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Fourteen of the Clock.

14.00 hrs

The Lok Sabha re-assembled at Fourteen of the Clock.

(Shri Krishna Prasad Tenneti *in the Chair*)

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा) : सभापति महोदय, आपने मुझे औद्योगिक रिलेशन कोड संशोधन विधेयक, 2026 पर चर्चा में भाग लेने की अनुमति दी, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद ।

सभापति महोदय, यह बिल औद्योगिक रिलेशन कोड 2020 में कुछ प्रावधानों के संशोधन के लिए प्रस्तुत किया गया है । यह बिल देश में श्रमिकों के हितों को ध्यान में रख कर बनाया गया है । इसके द्वारा श्रमिक कार्यबल बनाने, श्रमिकों के वेतन में सुविधा लाने, उनकी सुरक्षा एवं सामाजिक सुरक्षा और उसके पालन करने में सुधार लाने के लिए इस प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है ।

सभापति महोदय, पहले वर्ष 2020 में श्रम कानूनों में काफी संशोधन किया गया था । 29 कानूनों को रद्द किया गया था और उसे चार कानूनों में समाहित किया गया था, किन्तु कानूनों की सही परिभाषा और स्पष्टता नहीं होने के कारण कुछ जटिलता उत्पन्न हो रही थी, कानूनी अड़चने आ रही थी । उन्हीं खामियों को दूर करने के लिए यह प्रस्ताव माननीय मंत्री जी ने यह विधेयक प्रस्तुत किया है, यह सराहनीय कदम है । इसमें श्रमिकों के कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता सिद्ध होती है ।

सभापति महोदय, सर्वथा सत्य है कि हमारा श्रम शक्तिकरण, एक सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत की आधारशिला है । हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की दूरगामी सोच के कारण आज देश में रोजगार में काफी वृद्धि हुई है । वर्ष 2017-18 में 47.5 करोड़ रोजगार उपलब्ध हुआ था, जो वर्ष 2024 तक करीब 64.33 करोड़ हो गया है । यानी छह वर्षों में करीब 16.83 करोड़ नौकरियां शुद्ध रूप से सृजन हुई है । इसी अवधि में 1.65 करोड़ महिलाओं को औपचारिक कार्यबल मिला है, यह आंकड़े बताते हैं ।

इसके साथ ही साथ पिछले छह वर्षों में बेरोजगारी दर छह प्रतिशत से घटकर 3.2 प्रतिशत हो गई है । यह समावेशी और सतत श्रम सशक्तिकरण पर सरकार के फोकस को दर्शाता है । श्रम के क्षेत्र में सकारात्मक दृष्टिकोण के कारण व्यापक सामाजिक, आर्थिक परिवर्तन हुआ है, जो अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा से नीच रहने वाले लोगों के घटते अनुपात से सिद्ध होता है । इसके साथ ही देश में सामाजिक सुरक्षा प्रणाली में तेजी से विस्तार हुआ है और आज हमारे देश की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रणाली विश्व स्तर पर सबसे बड़ी प्रणालियों में से एक बन गई है ।

हमारे देश में ऐतिहासिक श्रम सुधार सुनिश्चित करता है कि श्रमिकों की सुरक्षा, सम्मान, स्वास्थ्य और कल्याणकारी उपायों तक पहुंच आसान हो जाए, जिससे निष्पक्ष और भविष्य के लिए तैयार श्रम प्रणाली के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को बल मिले । सरकार द्वारा 29 श्रम कानूनों को चार व्यापक श्रम कोड में शामिल किया गया है जो मजदूरी संहिता 2019, औद्योगिक रिलेशन संहिता 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य परिस्थितियां संहिता 2021 है, इसमें देश के श्रमिकों के हितों और कल्याण के साथ-साथ एम्पलायर के हितों का भी ध्यान रखा गया है, जो सराहनीय कदम है ।

सभापति महोदय, 2020 के कानूनों में जो जटिलता थी, अब उसे दूर किया गया है । स्पष्टता के साथ नये कानून बनाने का प्रस्ताव है । मैं माननीय मंत्री जी द्वारा लाये गये इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

SHRIMATI SUPRIYA SULE (BARAMATI): Sir, thank you very much. On behalf of the NCP (SP), I stand here to speak against the Industrial Relationship Code (Amendment) Bill, 2026.

Sir, with a heavy heart, I start this debate. Whether it is a coincidence or a destiny, I do not know what to say because today, the Central Trade Unions, public sector unions, bank employees, insurance employees, electricity workers, transport workers and unorganized labourers, are on strike today. This is the list of all the people who have built this nation for what it is today. All these people are on strike today as we debate this Bill.

I have a lot of faith in this Government as well as the hon. Minister. I am not against privatization at all. Privatization, and the opening up of the economy was started under the leadership of Manmohan Singhji when he was the Finance Minister of this country under the leadership of the then Prime Minister Shri Narasimha Raoji. An insulated economy that we lived in was opened up and we became a global player. I do understand that Mansukh *bhai* wants to lead this; to have better investments; more people to get jobs for a better India; and to make it the fastest growing economy in the world. But, at what cost, is my question to him. Who has built this nation? Of course, they were the visionaries, people who dreamt of it, and large industrial homes. I am not speaking against them at all. But at the same time, it was the workers who built these companies. मेहनत किसने की, वहां के वर्कर्स का खून है, उनकी मेहनत है । जिन्होंने इस देश को थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाया । उसमें सबसे बड़ा हाथ इस देश के किसानों, मजदूरों का रहा है और आज जो बिल लाया गया है, यह उन्हीं के खिलाफ है । मैं अभी किसानों के बारे में नहीं कहूंगी, यूएस डील में क्या हो रहा है, वह अलग बात है, उसकी अलग चिंता करेंगे । आज देश में कोई भी अखबार पढ़ें या चर्चा करें, तो ऐसा लग रहा है और एक ऐसा माहौल इस देश में बन रहा है कि गरीबों, शोषित, पी़डित, वंचित किसानों को, जो काम करते जा रहे हैं, देश को आगे बढ़ाते जा रहे हैं, उनके खिलाफ यह सरकार है ।

संजय जी और निशिकांत जी, सुनने का धैर्य रखिए । आप इस कोड में देखें । 5 बी आईडीए, वर्ष 1947 में जब लाया गया था, तब 100 कर्मचारियों का था । 220 कोड 300 वर्कर्स थे, लेकिन आज केवल 100 हैं । मैं कुछ डेटा बताना चाहती हूं, अनुराग जी, सुनिए । निशिकांत जी, संजय जी 2009 बैच कृपया सुनिए । आप मेरे बैच वाले ही हैं । वर्ष 2023-24 में इन्हीं की सरकार की रिपोर्ट है । 2 लाख 12 हजार 990 फैक्ट्रीज़ में से 1 लाख 38 हजार 722 फैक्ट्रीज़ में 50 से कम मजदूर आज काम कर रहे हैं । इसमें से कितना प्रतिशत हो गया? अरविंद जी ने अभी कहा था, आप उस समय चेयर पर थे । उन्होंने कहा था कि जब रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन होगा, मैं चाहूंगी कि मनसुख भाई इसका जवाब दें कि जब रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन होगा, तो पहले लेस देन 50 अगर हो गया आज, जो पहले 20 नंबर था । अगर 20 कामगार आपके पास हैं, तो रजिस्ट्रेशन करना जरूरी नहीं है, लेकिन आज इन्होंने वह नंबर बढ़ाकर 50 कर दिया है । आप किसी मॉल, दुकान, बिग बास्केट या किसी भी दुकान में चले जाएं, अगर 50 लोग की जगह 49 हों, तो उनको कोई अधिकार नहीं रहेगा । ऐसे कैसे चलेगा, सर? एक जगह आप स्ट्राइक की बात कह रहे हैं । स्ट्राइक, जो कितनी एंटी डेमोक्रेटिक है । स्ट्राइक्स करना तो बंद ही कर देंगे । यहां तो एलओपी को भी नहीं बोलने देते । मुश्किल से एलओपी को सरकार ने बोलने दिया । अब ये मजदूरों को भी नहीं देंगे ।

माननीय सभापति: मैडम, अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए ।

श्रीमती सुप्रिया सुले : यह लीगल फिक्स टर्म क्या है? (व्यवधान)

कृपया, आप हमें यह बताइए कि इस लीगल फिक्स टर्म का मतलब क्या है, क्योंकि आपके पीरियोडिक लेबर फोर्स और एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज कांट्रेक्ट वर्कर्स वाला है, Sir, it is a record that 42 per cent of employees in India today are only on contract, be it gig workers or be it insurance. What has been done for all these people? I want to remind this Government about a few issues, which my colleague Shri Arvind Sawant ji raised.

I represent the union at LIC as well as Mazagon Dock. We all do it. We all work for them. Privatisation is looming on them. सरकार यह बताए कि क्या इन्होंने अपने 11 साल के समय में एलआईसी में किसी को परमानेन्ट किया है? मझगांव डाक में यह कहा जाता है कि जब तक ऑर्डर नहीं है, तब तक नहीं मिलेगा ।

सर, पीएसयूज को ऑर्डर नहीं मिलता है । मेरा पीएसयू से संबंधित एक सवाल और है । You must know this. This country should also know this. It is a very alarming issue related to all the PSUs and contract labour. My friend, Shrimati Pratima Mondal, is a Member of the Committee. She is present in the House now. There is a Supreme Court verdict and DoPT guidelines are also there. After 45 days, no reservation policy is applicable to anybody who is employed in this contract. Is this not alarming? I would seek a clarification. I hope the Minister intervenes in this issue. We are with the Government. We want the industry. I represent one of the largest industrial States in this country. Shri T. R. Baalu ji is here. Tamil Nadu, Gujarat and others, all are one for the development of this country. In respect of job, all the largest investments are in Pune district, which is a district that I come from. But if this happens, what is the guarantee? I would like to quote Dr. B. R. Ambedkar here (*Interruptions*). I will just finish in 30 seconds, Sir. Democracy must protect the weakest and not make employment disposable. Labour is not a commodity, Sir. There are humans in this nation building. You have to give them dignity, safety and fairness. These are not only my words or the sentiment of the House. This is what our forefathers said and this is what Dr. B. R. Ambedkar ji stood for.

I take this opportunity to request this Government that please rethink. I am not against their capitalism thinking. We are for industry but not at making our workers and labours insecure. This India belongs to every citizen and every citizen has a fair right. If this Government is not going to protect the farmers and the poor of this country, we will not let them sit here. Even they may have numbers here. We

will get to the streets and we will make sure that every person, जो शोषित, वंचित और पीड़ित है, उनके लिए हम पूरी ताकत से लड़ेंगे । धन्यवाद ।

DR. RANI SRIKUMAR (TENKASI): Hon. Chairperson, Sir, I rise to register my strong opposition to the introduction of the Industrial Relations Code (Amendment) Bill, 2026. The new labour codes are anti-labour and anti-social security.

Hon. Chairperson, Sir, major trade unions across the country have called for a nationwide strike today, even as this House takes up this matter. This reflects the accumulated frustration of the working class against what they perceive as a persistent anti-worker policy direction over the past decade. Instead of dismissing these voices, the Government must make sincere arrangements to hear the concerns of the workers and address their grievances. Sir, let me come to the Bill properly. First, the most controversial change is the increase in the threshold for layoffs, retrenchment and closure from 100 to 300 workers. Establishments employing fewer than 300 workers no longer require prior Government permission to terminate or retrench employees. This amendment significantly weakens job security for a large section of the workforce. Second, the code imposes stricter conditions not only on the formation of the trade unions but also on the right to strike. Mandatory prior notice, prohibition of strikes during conciliation proceedings collectively dilutes the traditional bargaining power of trade unions. At a time when employment is increasingly shifting towards the gig and platform economy, a responsible Government should strengthen and not weaken the collective bargaining rights of the workers.

Further, if more than half of the employees of an establishment take casual leave simultaneously, it is now treated as a strike.

Such provisions make spontaneous and peaceful protests extremely difficult.

HON. CHAIRPERSON: Basheer ji, kindly be seated.

DR. RANI SRIKUMAR: It restricts the workers to go on a strike for their basic rights. It is against the fundamental rights of the workers.

After fighting a long battle during the British rule, our labourers got some of these benefits which they enjoy today and whereas you are refusing to extend them for our own people. This clearly shows that you are even ready to sacrifice the rights and welfare of our working class in order to promote corporate entities closer to you.*

Introduction of the fixed-term employment allows easier hiring and firing policy which essentially legalises permanent temporariness in perennial and core jobs. Employers and corporates are endowed with an unrestricted power to replace permanent jobs with short-term contracts. This is aimed to destroy stable employment.

We would like to emphasize that Muththamizh Arignar Dr. Kalaignar, former Chief Minister of Tamil Nadu, created a Welfare Board for the workers of our unorganized sector. Their rights were protected through that Welfare Board. We request that you also try to emulate and follow this Dravidian Model of Governance and implement the same in other States of our country. Even if you claim that you have brought all these Schemes and laws to attract investments, such investments should not in any way affect the welfare and rights of our working class. Tamil Nadu Government too is attracting lots of investments, and is implementing them in a way that does not affect the interests of our workers.*

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

DR. RANI SRIKUMAR: Sir, the strength of any nation lies in the dignity and security of its working class. The Government must listen to the voices of the workers, engage in genuine consultation with the trade unions and ensure that economic reforms do not come at the cost of social justice.

Therefore, I urge the Union Government to reconsider the provision of this amendment and to act in a manner that truly protects the welfare, rights and dignity of the working people of this country.

माननीय सभापति **:** माननीय श्री रविंद्र वाइकर जी ।

श्री रविन्द्र दत्ताराम वायकर **(**मुम्बई उत्तर-पश्चिम**) :** धन्यवाद, सभापति महोदय । मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे 'औद्योगिक संबंध संहिता (संशोधन) विधेयक, 2026' पर अपने विचार रखने का अवसर दिया ।

महोदय, 11 फरवरी 2026 को हमारे केंद्रीय श्रम मंत्री श्री मनसुख मंडाविया जी ने इस विधेयक को सदन के पटल पर रखा । यह बजट सत्र के दौरान वित्त विधेयक के अलावा पेश किया जाने वाला पहला विधेयक है, जो इसकी महत्ता को दर्शाता है । इस संशोधन विधेयक की आवश्यकता क्यों पड़ी?

महोदय, जैसा कि हम जानते हैं कि वर्ष 2020 में हमारी सरकार ने 29 पुराने श्रम कानूनों को मिलाकर 4 नई लेबर कोड्स बनाई थीं । इनमें से एक महत्वपूर्ण कोड था-इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड, 2020' । इस कोड ने तीन पुराने और जटिल कानूनों की जगह ली थी । उनमें से पहला ट्रेड यूनियन एक्ट, 1926, दूसरा इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट (स्टैंडिंग ऑर्डर्स) एक्ट, 1946 और तीसरा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, 1947 था । हालांकि, 2020

के कोड की धारा 104 में इन पुराने कानूनों को निरस्त करने का प्रावधान पहले से था, लेकिन सरकार को लगा कि भविष्य में कोई कानूनी दुविधा या confusion पैदा न हो जाए । कुछ लोग यह गलतफहमी पाल सकते थे कि पुराने कानूनों को हटाने की शक्ति कार्यपालिका को दी गई है, जबकि यह शक्ति स्वयं संसद के पास है, इसलिए भविष्य में किसी भी तरह की कानूनी पेचीदगी या व्याख्यात्मक विवाद, interpretational disputes से बचने के लिए और कानून को पूरी तरह स्पष्ट करने के लिए यह छोटा, लेकिन महत्वपूर्ण संशोधन लाया गया है । इसका उद्देश्य केवल कानूनी स्पष्टता (Legal Clarity) सुनिश्चित करना है, ताकि हमारे श्रमिकों और उद्योगों को अदालतों के चक्कर न काटने पड़ें । मोदी सरकार की उपलब्धियों का यानी श्रम सुधार और रोजगार, achievements का यह एक्ट है ।

महोदय, यह संशोधन हमारी सरकार की उस बड़ी दृष्टि का हिस्सा है, जिसमें हम कानूनों को सरल, स्पष्ट और आधुनिक बना रहे हैं । विपक्ष अक्सर रोजगार पर सवाल उठाता है, लेकिन आंकड़े गलत नहीं बोलते । मैं आंकड़ों के बारे में बोलना चाहता हूं । जहां तक रोजगार में वृद्धि की बात है । वर्ष 2017-18 में देश में रोजगार का आंकड़ा 47.5 करोड़ था, जो वर्ष 2023-24 में बढ़कर 64.33 करोड़ हो गया है । यानी पिछले 6 वर्षों में हमने लगभग 16.83 करोड़ नई नौकरियां जोड़ी हैं ।

महोदय, बेरोजगारी में कमी हुई है । इसी अवधि में बेरोजगारी दर 6 प्रतिशत से घटकर 3.3 प्रतिशत रह गई है, जो एक बड़ी उपलब्धि है ।

इसमें महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है । 1.56 करोड़ नई महिलाएं फॉर्मल वर्कफोर्स (औपचारिक कार्यबल) का हिस्सा बनी हैं, जो 'नारी शक्ति' के उदय को दर्शाता है ।

महोदय, जहां तक सामाजिक सुरक्षा की बात है तो आज भारत की 64.3 प्रतिशत आबादी यानी 94 करोड़ लोग किसी न किसी सामाजिक सुरक्षा योजना के दायरे में हैं । वर्ष 2015 में यह आंकड़ा सिर्फ 19 प्रतिशत था । आज हम वैश्विक स्तर पर सामाजिक सुरक्षा कवरेज में दूसरे नंबर पर हैं ।

महोदय, अन्त में, मैं सरकार के समर्थन के साथ-साथ श्रम सुधारों को और प्रभावी बनाने के लिए तीन रचनात्मक सुझाव देना चाहता हूँ ।

मेरा पहला सुझाव है कि कार्यान्वयन में तेजी आए । हालांकि हमने चार लेबर कोड्स बना दिए हैं, लेकिन राज्यों के स्तर पर इनके रूल्स को लागू करने में अभी भी देरी हो रही है । केन्द्र सरकार को सभी राज्य सरकारों के साथ मिलकर एक 'डेडलाइन' तय करनी चाहिए ताकि देश भर में एक समान कानून लागू हो सके और 'ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस' का असली लाभ सभी को मिल सके ।

मेरा दूसरा सुझाव है कि गिग वर्कर्स के लिए स्पष्टता हो । आज के डिजिटल युग में लाखों युवा ओला, उबर, स्विगी और ज़ोमैटो जैसे प्लेटफॉर्म्स पर काम कर रहे हैं । ई-श्रम पोर्टल पर उनका रजिस्ट्रेशन एक अच्छी शुरुआत है, लेकिन हम उनके लिए 'न्यूनतम वेतन' को वेरिफाई करें । 'काम के घंटे' जैसे मुद्दों पर और अधिक स्पष्ट नियम बनाने की जरूरत है ताकि उनका शोषण न हो ।

मेरा तीसरा और अंतिम सुझाव है कि इसका कौशल विकास से जुड़ाव हो । श्रम कानूनों का असली फायदा तभी मिलेगा जब हमारा श्रमिक स्किल्ड वर्कर होगा । उद्योगों की मांग के अनुसार आईटीआई और कौशल विकास केन्द्रों के पाठ्यक्रम को लगातार अपडेट किया जाना चाहिए । हमें अप्रेंटिसशिप को और बढ़ावा देना चाहिए ताकि युवा पढ़ाई के साथ-साथ कमाई और हुनर भी सीख सकें । (व्यवधान)

DR. M. K. VISHNU PRASAD (CUDDALORE): Thank you, hon. Chairperson Sir, for allowing me to speak on the Industrial Relations Code (Amendment) Bill, 2026.

Sir, there are three types of Industrial Labour Acts, that are, the Trade Unions Act, 1926, the Industrial Employment (Standing Orders) Act, 1946, and the Industrial Disputes Act, 1947. All these three Acts have been consolidated and replaced by a new Code called the Industrial Relations Code, 2020. The repeal has occurred by operation of Section 104 of the Code itself. There is a possibility of confusion later on. So, in order to avoid that, this is being enacted.

In one way, I would like to say that since coming to power, the Modi Government has pursued a wider restructuring of the labour regime that has shifted away from enforceable rights and protections, towards a framework of pro-market reforms in the name of ease of doing business. Even as the economy has expanded in headline terms, wage outcomes and protections for workers have remained weak. This is not the result of any policy change, but a broader reshaping of how the BJP Government approaches work, labour, and employment.

The effects of this shift are most visible where the majority of workers are located in informal and precarious employment relationships, with limited bargaining power and uneven enforcement on the ground. The new Labour Codes reflect the broader trend of the Modi Government which has repeatedly prioritised the market over labour, people and the environment. These Codes exacerbate the unequal relationship between labour and capital, making available cheap, docile labour for corporations and Government's cronies. This Government is going on weakening labour protection in the name of ease of doing business.

Under the old Industrial Disputes Act, 1947, employers needed Government approval for lay-offs and closures once a firm had 100 plus workers. The new Industrial Relations Code raises this threshold to 300 workers. This means that a vast majority of enterprises can now lay-off workers without State oversight, weakening job security and tenure protections.

The main point is to increase centralisation. Under the earlier regime, States largely drove minimum wage-setting through their own notifications and wage schedules, responsive to local prices and living costs.

The new Code mandates the Union Government to fix a national floor wage below which no State can set its minimum wage, thereby shifting the balance itself to the Centre.

This Government has failed immensely to account for the unorganised sector. The issue of gig workers is a very important one. As the gig economy grows, the promises of flexibility and entrepreneurship have translated into precarious work with minimal pay, zero job security, no statutory benefits, and an intense allure of immediate income. Individuals are entering the gig economy at a rapid rate. Finally, the welfare of the unorganised sector is being totally ignored in this Modi Government.

The Labour Code-2025 speaks of comprehensive labour wages, social security, and industrial relations. In Tirupur, which is famous for the textile industry, the imposition of taxes by America has caused heavy damage to our workers. The Tirupur textile industry has now gone to the dogs.

Seafood exporters are suffering a great deal. Many workers in seafood manufacturing are equally suffering because of the American economic taxes imposed on us.

श्री जगदम्बिका पाल **(डुमरियागंज) :** अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका अत्यंत आभारी हूं कि आपने मुझे औद्योगिक संबंध संहिता (संशोधन) विधेयक, 2026 पर बोलने का मौका दिया । आज हमारी सरकार देश के करोड़ों श्रमिकों की स्थिति में सुधार के लिए यह विधेयक लेकर आई है । हमारी सरकार ने देश के बिखरे और जटिल कानूनों को कोडिफाई करके वर्ष 2020 में चार कानूनों को बनाया । आज हमारे श्रम मंत्री जी अमेंडमेंट के रूप में इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड (अमेंडमेंट)बिल 2026 लाए हैं । उसका उद्देश्य सीधा-सीधा है । The Industrial Relations Code, 2020 replaces three key labour laws, viz, the Trade Unions Act, 1926, the Industrial Employment (Standing Orders) Act, 1946, and the Industrial Disputes Act, 1947. ये जो तीन अलग-अलग कानून हैं, उनको रिपील करके दी इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड (अमेंडमेंट)बिल बनाया गया । उसमें कोई एम्बिगुइटी न हो, फ्यूचर में कोई अनसर्टेंटिटी न हो, उसकी एक लीगल सर्टेंटिटी और कंटीन्यूटी हो, इसके लिए मंत्री जी सुधार और अमेंडमेंट बिल लेकर आए हैं । मैं माननीय मंत्री जी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं । यह देश के श्रमिकों के हक एवं हकूक में है । आज आप देखेंगे कि दुनिया में हर देश के श्रमिकों के आंदोलन का इतिहास रहा है । अगर इसे देखा जाए तो आज पूरी दुनिया में केवल भारत ही नहीं, बल्कि पूरी मानव की सभ्यता को देखा जाए, वर्ष 1789 में जब फ्रांस की क्रांति हुई तो उस समय वहां के मजदूरों ने दासता और शोषण की जंजीरों को तोड़ने का काम किया ।

वर्ष 1886 में शिकागो में जब श्रमिक आंदोलन हुआ, उन्होंने कहा कि दुनिया के मजदूर एक हों । आठ घंटे के कार्यदिवस की बात की गई । फिर 1917 में रूस की क्रांति ने श्रमिकों को सत्ता और अधिकार की परिभाषा दिलायी । आप यकीन कीजिए कि अगर आज तक यह दुनिया के श्रमिकों के सुधार में ये क्रांति के रूप सबसे बड़े तीन आंदोलन माने जाते हैं, तो आप यकीन कीजिए कि वर्ष 2002 में जिस समय लेबर कमीशन और लॉ कमीशन ने कहा था । उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी । उस समय जो दूसरा राष्ट्रीय श्रम आयोग बना था, उन्होंने साफ कहा था कि आज भारत के मजदूरों और श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए जितनी जटिलताएं हैं, उन श्रमिकों की न सोशल सिक्योरिटी है, न उनका वर्क कल्चर है, न उनकी वेजेज व पेमेंट्स हैं ।

इन सारी चीजों पर उन्होंने एक सुधार की आवश्यकता कही थी । इसको अटल बिहारी वाजपेयी जी ने आगे बढ़ाया था।

फिर यूपीए की 10 साल की सरकार आई, लेकिन उस समय कोई काम नहीं हुआ । जबकि वर्ष 2019 में कोविड की महामारी आई, जब पूरी दुनिया और भारत अपने घरों में थी । उस समय भी कन्याकुमारी से कश्मीर तक अगर किसी ने खाना पहुंचाने का काम किया है, तो उस कोविड में भी मालगोदाम के मजदूरों ने लोडिंग और अनलोडिंग का काम किया । लॉकडाउन के अंतर्गत जब हवाई जहाज ग्राउंडेड हो गए, रेलवे गाड़ियां खड़ी हो गईं, बसें और कारें खड़ी हो गईं, उस समय नरेन्द्र मोदी जी ने तय किया कि श्रमिकों को उनकी मेहनत का फल मिले । जिस तरह से उन्होंने भारत के श्रमिकों के लिए यह जिम्मेदारी श्रम मंत्री जी को दी । श्रम मंत्री जी ने 29 कानूनों को कोडिफाई और रिपील किया । इसको चार कानून के रूप में जिस तरह से बनाया है, अभी तक अगर दुनिया के इतिहास में तीन क्रांति मानी जाती थीं, तो यह दुनिया के श्रमिकों के सुधार में चौथी क्रांति होगी ।

आप डिग्निटी ऑफ लेबर की बात करते हैं । हम कहते हैं कि यह जो हमारे श्रमिक हैं यही विकास की चेतना के मील के पत्थर हैं । हम नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत में रहेंगे । आज उन श्रमिकों की डिग्निटी ऑफ लेबर की बात करते हैं, लेकिन अभी तक श्रमिकों को क्या माना जाता था कि जैसे वह श्रमिक केवल काम देने वाले लोग हैं । मैं आज पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जो श्रम संहिता है, आने वाले इतिहास में इसे श्रमिक हित में एक नई आधुनिक संतुलित क्रांति के रूप में देखा जाएगा । इसके लिए मैं बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूँ । श्रमिकों को केवल अपनी मेहनत बेचने वाला व्यक्ति माना जाता था, आज जिस तरीके से उन्हें एक अवसर दिया गया है ।

आखिर हमारी दीदी भी बोल रही थीं । दीदी आप इतना पढ़ती हैं और हर बिल पर बोलती हैं। मेन ऑब्जेक्ट क्या है? मेन ऑब्जेक्ट यह है कि जो कोडिफाई किया और 07 नवम्बर, 2025 में अगर यह कानून पहली बार लागू हो गया, तो इसमें आगे कोई कन्फ्यूजन न हो, तो सेविंग क्लॉज है। उस सेविंग क्लॉज को माननीय मंत्री ला रहे हैं, केवल संशोधन इसी का है । सेविंग क्लॉज इसलिए लाया जा रहा है कि पुराने कानून जो रिपील किए, नया कानून ला रहे हैं । एक ट्रॉन्जेक्शन फेज़ होता है । आपके बराबर में श्री अरविन्द सावंत जी श्रमिक नेता बैठे हुए हैं । उस ट्रॉन्जेक्शन फेज में उन श्रमिकों के हकों की हिफाजत और हितों की रक्षा करने के लिए, उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए, सोशल सिक्योरिटी की रक्षा करने के लिए, वर्कर्स की रिप्रेंजेटेटिव कहीं खत्म न हों । इसलिए इस कोड को नोटिफाई किया जा रहा है और इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है ।

मुझे लगता है कि यह स्वतंत्र भारत में सही मायने में वर्ष 1947 से जो श्रम कानून लागू थे, किस तरह से हमारे उन आंदोलनों में श्रमिक लड़े और कितने श्रमिकों ने अपनी जान दे दी । (व्यवधान) अभी माननीय निशिकान्त दुबे जी ने नाम लिया था कि चलती हुई फैक्टरियां रुक गईं। (व्यवधान) आज हम नए फ्रेमवर्क में ओरिजनल बिल में सेविंग क्लॉज को लागू करेंगे । इसमें कोई कन्फ्यूजन न हो । (व्यवधान) हमारे चारों कोड वैलिड हों । वर्कर्स के राइट्स पर कोई उंगली न उठ सके । मैं समझता हूँ कि लीगल टर्म, Mr. Premachandran, if you have patience, I can say in one sentence only.

HON. CHAIRPERSON: Sir, kindly address the Chair.

(*Interruptions*)

SHRI JAGDAMBIKA PAL: This amendment Bill provides a statutory ground to the labour. अगर हम लीगल फ्रेम में स्टेट्यूटरी बैकग्राउंड श्रमिकों को देने जा रहे हैं, तो आपको इसका स्वागत करना चाहिए । आप हमेशा श्रमिकों की बात करते हैं । आखिर वर्ष 2020 के पहले भी पेमेंट की डेफिनेशन क्या थी? पेमेंट के डेफिनेशन में कितनी दिक्कत थी । चाहे कभी कोई एम्प्लॉयर पेमेंट कम दे, अधिक दे या निकाल दे ।

आज गिग वर्कर्स की बात हो रही है । मैं तो माननीय श्रम मंत्री जी से कहना चाहता हूं और वे मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं, चाहे गिग वर्कर्स हों, रेलवे माल गोदाम के श्रमिक हों, चाहे सेल्स में काम करने वाले लोग हैं, जो अनस्किल्ड लेबर्स हैं, गोदी में काम करने वाले जो श्रमिक हैं, उन श्रमिकों के हितों की रक्षा करने का काम इस सरकार ने किया है ।

HON. CHAIRPERSON: You have exceeded your time. Kindly conclude.

श्री जगदम्बिका पाल **:** आप आइए, मैं आपको समझा दूंगा । यह केवल कानूनी परिवर्तन नहीं है, बल्कि यह सामाजिक चेतना का परिवर्तन है । आप यकीन करिए कि स्वतंत्र भारत में जो सबसे बड़ा परिवर्तन हो रहा है, चारों श्रम कानूनों को बदला गया है, इसके पीछे क्या सोच है । जो पहले के श्रम कानून थे, उनकी जगह पर यूनीफॉर्म डेफिनेशन्स हों, डिजिटल अनुपालना हो या सिंपलीफाइड रजिस्ट्रेशन हो । (व्यवधान)

माननीय सभापति **:** कृपया आप अपनी बात समाप्त करिए ।

श्री जगदम्बिका पाल **:** महोदय, अभी तो मैंने शुरू किया है । इसलिए मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि यह विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है । आज हमारे देश के श्रमिकों की आवाज सुनी जानी चाहिए । आज मोदी जी की सरकार इतना काम कर रही है । आज उनके ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ और वर्किंग कंडीशंस के लिए स्पष्ट रूप से से कानून बनाया गया है । अगर आप वर्ष 2020 के कानून को देखें, सुरक्षित कार्य-स्थल हो, उसको भी कानूनी अधिकार दिया गया है । ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ और वर्किंग कंडीशंस हैं । सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 है । अरविंद जी, क्या आपने कभी इसको पढ़ा है? दीदी, क्या आपने कभी सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 को पढ़ा है?

HON. CHAIRPERSON: Please conclude. Please do not address the hon. Member. My request to you is not to address any Member.

(*Interruptions*)

श्री जगदम्बिका पाल **:** गिग वर्कर्स को दिया है, प्लेटफॉर्म वर्कर्स को दिया है । (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Please address the Chair. Kindly address the Chair. Kindly conclude.

SHRI JAGDAMBIKA PAL: Sorry, I will address the Chair. वे मुझे टोक रहे थे। (व्यवधान)

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह सदन बहुत चिंता कर रहा था, जब कांग्रेस पार्टी और यूपीए की सरकार थी, तब इन्होंने गिग वर्कर्स की चिंता नहीं की थी । तब इन्होंने प्टेलफॉर्म वर्कर्स की चिंता नहीं की थी ।

HON. CHAIRPERSON: Kindly conclude.

श्री जगदम्बिका पाल **:** माननीय श्रम मंत्री जी, अभी जवाब देंगे । वे बहुत विस्तार से जवाब देंगे । तब इन्होंने असंगठित क्षेत्र के वर्कर्स की चिंता नहीं की थी । मैं भी कई श्रमिक संगठनों के साथ जुड़ा हुआ हूं । आज मैं कहना चाहता हूं कि आप सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 को पढ़िए । नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने गिग वर्कर्स के लिए एक कानून बनाया है । उन्होंने असंगठित क्षेत्र के वर्कर्स के लिए काम किया है । हमारे देश में अभी तक उनके लिए कोई श्रम कानून नहीं बना था । They were not covered under the Wages Act. उन श्रमिकों के हक-हकूक की हिफाज़त के लिए तथा उनके हितों की रक्षा के लिए पहली बार इस तरह के कानून बनाए गए हैं । उनमें स्पष्टता है ।

HON. CHAIRPERSON: You have exceeded your time.

Shri Arun Bharti.

(*Interruptions*)

माननीय सभापति **:** अरुण भारती जी, कृपया आप बैठ जाइए ।

श्री जगदम्बिका पाल जी, कृपया आप अपनी बात समाप्त करिए ।

(व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल **:** अभी तक श्रमिकों को बड़े शहरों में सेफ्टी मिलती थी, लेकिन उनको टू और थ्री टियर सिटीज़ में कोई सेफ्टी नहीं मिलती थी । आज इन कानूनों में सुधार के बाद मुंबई में 8.8 प्रतिशत, कोलकाता मे 8.9 प्रतिशत, उदयपुर में 55.3 प्रतिशत, कोल्हापुर में 56.3 प्रतिशत, गोवा में 23 प्रतिशत और विजयवाड़ा में 20 प्रतिशत जॉब्स में बढ़ोतरी हुई है । आज टू और थ्री टियर सिटीज़ में श्रमिकों को सुरक्षा नहीं मिलती थी, लेकिन अब वहां भी उनको सुरक्षा दी गई है । मैं यह बताना चाहता हूं कि फिर से लोग काम पर वापस आ रहे हैं ।

श्री अरुण भारती **(**जमुई**) :** सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया है, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं । मैं लोक जन शक्ति पाटी (रामविलास) और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी के संदर्भ से इस सदन का ध्यान दो विषयों की तरफ आकृष्ट कराना चाहता हूं । कांग्रेस की जो फ्रेट इक्विलाइजेशन पॉलिसी थी, जिससे बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों का औद्योगिक भविष्य छीन लिया गया था । इसका परिणाम यह हुआ कि बिहार, पूर्वांचल और उत्तर प्रदेश के लोगों को पलायन करना पड़ा और उन्हें बाहर जाकर काम करना पड़ा । जब हमारे मजदूर दूसरे राज्यों में जाते हैं, जबकि हमारे पास कोयला और लोहे जैसे खनिज हैं । जब वे दूसरे राज्यों में जाकर काम करते हैं, तो वे वहां की अर्थव्यवस्था को गति देते हैं ।

वही श्रमिक वहां के स्थानीय राजनीति के कारण अपमानित किए जाते हैं । महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, केरल में अगर किसी विशेष स्थान के मजदूरों को प्रताड़ित किया जाता है, तो बिहार और उत्तर प्रदेश से आए हुए मजदूरों को ही किया जाता है ।

सभापति महोदय, ऐसे में जब हम राइट टू डिग्निटी की बात कर रहे होते हैं तो बिहार और उत्तर प्रदेश के मजदूरों की भी राइट ऑफ डिग्निटी होनी चाहिए । श्रम ही राष्ट्र का सम्मान है । भारत का नागरिक जहां भी काम करे, उसकी गरिमा और सुरक्षा की गारंटी होनी चाहिए ।

सभापति महोदय, मोहम्मद गजनवी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है कि उसने भारत पर कई बार अटैक किया और यह भी पढ़ा है कि हर बार जब वह आक्रमण करता था, तो एक राजा उसे रोक देता था । लेकिन, बहुत लोगों को नहीं पता है कि उस राजा का नाम महाराजा सुहेलदेव पासी था । महाराजा सुहेलदेव पासी जी ने और उन जैसे वीरों ने गजनवी जैसे विदेशी आक्रमणकारियों से डट कर मातृभूमि की रक्षा की । उनकी वीरता और निष्ठा की परंपरा में पासवान समाज और पासी समाज को गांव की सुरक्षा और प्रहरी की जिम्मेदारी दी गयी । उन्हें दफादार और चौकीदार की परंपरा में प्रमुख रूप से शामिल किया गया । यह समाज ईमानदारी से सदियों तक बलिदान दे कर अपने दायित्व को निभाता रहा, लेकिन आज विडम्बना यह है कि यही समाज अपने अधिकार के लिए, अपने आजीविका के लिए संघर्ष कर रहा है । यह केवल एक सामाजिक मुद्दा नहीं है । यह न्याय की, सम्मान की और संविधान के मूल सिद्धांतों की परीक्षा है ।

सभापति महोदय, वीरांगना ऊदा देवी पासी जी, जो 1857 के विद्रोह में लखनऊ के सिकंदर बाग में अकेले 32 से ज्यादा अंग्रेजों को मार डालती हैं, उनको सम्मानित करने का काम हमारे पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी करते हैं । ऐसे में बहुत जरूरत है कि इनके सम्मान की, इनके आजीविका की रक्षा की जानी चाहिए ।

धन्यवाद ।

SHRI MADDILA GURUMOORTHY (TIRUPATI): Chairperson Sir, thank you for giving me the opportunity to speak on the Industrial Relations Code (Amendment) Bill, 2026.

This amendment to the Industrial Relations Code, 2026 is a small Bill with big implications for India. It offers welcome legal clarity, but also leaves important gaps that we must recognise.

I would like to recollect a few positive aspects of this Bill. Firstly, the Bill confirms that the three old labour laws already stand repealed under Section 104 of the Code, closing any ambiguity about whether repeal depended on Executive discretion. This reduces scope for forum shopping and technical litigation that can delay projects and jobs.

Secondly, this Bill boosts ease of doing business. With one Code and one repeal clause, investors see a clearer compliance map instead of three overlapping statutes. For key hubs like Visakhapatnam, Sri City, Kopparthy and Krishnapatnam, that clarity supports long-term investment and industrial planning.

Thirdly, the savings provisions ensure past awards, settlements and proceedings remain valid. Workers and unions in sectors such as ports, SEZs, MSMEs and services in Andhra Pradesh can be assured that modernisation does not erase their existing entitlements.

A self-executing repeal clause strengthens India's image as a rule-based, predictable jurisdiction, which is critical when global value chains are looking at India as an alternative for manufacturing and services.

I have a few concerns about this Bill. There are a few amendments which are technical. It does does not address daily concerns in India like contract labour misuse, delayed wages, safety lapses and informal work that weaken workers security.

Labour-intensive sectors like textiles, construction, electronics, logistics, remain precarious. This Bill clarifies the law, but does not create new safeguards or faster remedies for them.

A single national Code can overlook State-specific realities for example, disputes around land, rehabilitation and SEZ employment. Without simplified communication, legal aid and union-level outreach, the clarity that investors see on paper may not translate into real understanding for ordinary workers about what is protected and how to claim their rights.

Before I conclude, this clarified framework of repeal and savings is not an academic exercise. It is the legal ground on which very real battles of jobs and livelihoods are being fought in places like the Vizag Steel Plant.

This situation is grim at Vizag Steel Plant, where around 4,000 to 4,500 contract workers were suddenly removed. It shows how critical it is that every worker and every employer clearly understands which law applies, what rights survive, and how disputes will be resolved. This experience in Vizag tells us that a unified and unambiguous Industrial Relations Code can be a powerful instrument to ensure that restructuring and efficiency do not come at the cost of chaos, uncertainty and avoidable conflict for workers and management.

Finally, I support this Bill.

SHRI K. RADHAKRISHNAN (ALATHUR): Sir, as far as our country is concerned, today is turning into a most significant day of struggle. All the labour organisations except BMS are with the Strike. The soul of BMS is with the struggle. Earlier the honourable members have pointed out why the strike is being conducted by labourers today. So, I don't want to talk at length about it. Sir today crores of labourers have come out to protest against the anti-labour policies of the Indian government. As we know, Indian labourers have fought during the British regime

in India to make laws in favour of labourers. After the Indian Independence also labourers have fought for their rights successfully. The working class secured many rights through sacrificial struggles during both the British era and subsequently after independence. This was achieved by changing the long-standing notion that workers are destined only to toil, and in its place establishing the realization that they too deserve to live with dignity in this society.

These are the rights that the NDA Government has been trying to systematically eliminate since coming to power. That is why in 2019-20, they decided to do away the existing laws favouring labourers by introducing 4 labour codes.

It was decided in 2019-20, but we know that by strong struggle and protest it got postponed. These are those same rules, the regulations of that law that are going to be implemented starting from November 21, 2025. During this time, the government is trying to make an amendment in the same. Are they able to clearly explain to the people why this legal amendment was introduced? Or are they able to convince the workers what benefit the Labor Code brings to the them? Can they even convince the rest of the country? The Government is attempting to impose a labour law that is unwanted by both the working class and the country in general. It is clear for whom this amendment is. We know that it is for the Indian corporates, foreign corporates and elites by exploit the labourers.

This Government has not adopted a stance aimed at protecting the interests of the working class. Perhaps, when we evaluate this government when history evaluates it and ask which was the most anti-worker government in history, it is going to be judged that it is the NDA government ruling from 2014 to 2026. Sir, I would like to remind you of something. Indian farmers gained their rights by fighting against the Britishers. If the working class and farmers of India were able to drive out the British the empire on which the sun never set then there is absolutely no doubt that this working class can correct the wrong policies of this Government.

The Government is adopting an arrogant attitude, thinking they can move forward by sidelining the working class and eliminating them. That is why the Government is moving forward with such anti-worker stand. The struggle that has emerged in the country today is proof that if they are not prepared to correct these anti-worker policies, our nation will take up even greater battles to force a correction. It is not merely the workers alone. The whole country is showing solidarity for their struggle. Because this amendment is neglecting the rights of labourers. We are witnessing a scene where everyone who realizes that our rights are being denied is

rallying behind this struggle. As I mentioned earlier, it was the working class and farmers of India who brought the British Empire to its knees. But today, the Central Government is adopting a stand of servitude to the American Empire. Yesterday, a major discussion regarding this took place during the budget session. Instead of adopting positions that protect the interests of our country and its people, they are adopting positions to protect the interests of American imperialism. They are implementing things in our country exactly as dictated by them. This Government is not adopting a stance to provide rights or benefits to crores of people. Instead, more and more people are realizing that it is adopting a stance meant to destroy them. You cannot deceive the people for long; you cannot deceive them forever. Nor can you continue to make people fight one another in the name of caste, religion, and faith. Rising above caste, religion, and beliefs, a powerful struggle is emerging in our country against these policies that are targeting the people.

HON. CHAIRPERSON: Please conclude sir.

SHRI K. RADHAKRISHNAN: There is an extremely powerful struggle going on in our country against these hostile policies transcending caste, religion, and faith. I firmly believe that you, Mr. Chairman, will also declare your solidarity with this struggle. After all, you are someone who rose from the working class. Those who stand with the labourers should declare solidarity for this struggle. I am declaring full solidarity with this struggle on behalf of myself and my party, and by opposing this bill, I conclude my speech.

श्री मलविंदर सिंह कंग **(**आनंदपुर साहिब**) :** सभापति महोदय, आज आपने मुझे इतने अहम अमेंडमेंट बिल पर बोलने का मौका दिया है, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद । पहले यह सरकार तीन एंटी फॉर्मर्स बिल लेकर आई, उसके बाद डेढ़ साल तक किसान सड़कों पर रहा और संघर्ष करता रहा । पंजाब ने उसकी अगुवाई की और उसके बाद सरकार को तीनों कानून वापस लेने पड़े, क्योंकि किसान की रोज़ी-रोटी का सवाल था ।

सर, अग्निवीर के माध्यम से लाखों नौजवानों के फ्यूचर से खिलवाड़ किया गया, जो देश की सेवा करना चाहते थे । हमारे नौजवान लम्बे समय से और आज भी संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि अग्निवीर के माध्यम से न सिर्फ एम्प्लायमेंट, बल्कि जो नौजवान देश की सेवा करना चाहते हैं, उन्हें भी रोका जा रहा है । अभी हमने पूरे सैशन के दौरान देखा कि इंडिया और यूएस में ट्रेड डील हुई है, जिसके माध्यम से पूरे देश के किसानों को, खास करके जो डेयरी किसान हैं उनकी रोजी-रोटी को बिल्कुल खत्म करने की साजिश हो रही है । अभी तक सरकार नहीं बता पायी है कि उस पर क्या दबाव है?

सर, अभी इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड के माध्यम से वे मजदूर, जो इस देश की बुनियाद हैं, इस देश के डेवलपमेंट में, इस देश की तरक्की में अगर सबसे बड़ा किसी का योगदान है, तो हमारे मजदूर भाइयों का है, लेकिन जिस तरीके से इस कोड के माध्यम से चाहे वह समय की बात हो, 8 घंटे से 12 घंटे, मुझे लगता था इसको और

डिसीप्लीन करने की जरूरत थी, उनको परमानेंट रोजगार देने की जरूरत थी, लेकिन सरकार यह कह रही है कि अगर किसी इंडस्ट्री में 300 से कम एम्प्लाई हैं, चाहे वे 299 भी हैं, तो उनको विथआउट नोटिस निकाल दिया जाएगा । यह उस वर्ग के साथ अन्याय है, जो सबसे ज्यादा मेहनत इस देश के लिए करता है और जिसको बेहतरी की जरूरत भी है । आज सरकार को चाहिए कि उसकी बेहतरी के लिए काम करे । इसके साथ जो उनका डेमोक्रेटिक राइट, उनकी ट्रेड यूनियन है, उस पर भी लगाम लगा दी गई । ट्रेड यूनियन के माध्यम से वे अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते थे, लेकिन इसमें जिस तरह का पैमाना रखा गया है कि अगर किसी यूनियन के 50 से कम मेंबर हैं, तो वह यूनियन रजिस्टर्ड नहीं हो सकती, यह उनके साथ सरासर अन्याय है । मुझे लगता है कि हमारे संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, यह उसकी स्प्रिट के खिलाफ है । इसी तरीके से आज जरूरत थी कि जो मिनिमम वेजेज हैं, उनके लिए एक मिनिमम वेजेज निर्धारित किया जाता, लेकिन इस कोड के माध्यम से जो इंडस्ट्रियल रिलेशन अमेंडमेंट कोड, 2026 है, इसके माध्यम से जो मिनिमम वेज है, उसे भी खत्म कर रहे हैं । आज जरूरत इस बात की है कि इसे प्रेस्क्राइब करते, एक पालिसी बनती और जो मजदूर हैं, जो अनऑर्गेनाइज्ड तरीके से काम कर रहे हैं, उन्हें एक मिनिमम वेज दिया जाता । मुझे ऐसा लगता है कि यह जो कोड है, जो अमेंडमेंट सरकार लेकर आ रही है, यह मजदूरों के, गरीबों के खिलाफ है । सरकार को इसे वापस लेना चाहिए । मैं इसके विरोध में यहां पर खड़ा हुआ हूं । आपने मुझे इस अहम बिल पर बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI E.T. MOHAMMED BASHEER (MALAPPURAM): Hon. Chairperson, at the outset, I express my heartfelt solidarity with the working class struggling today for their legitimate rights. I wish them all the best. I wish to say that for the last 15 years, I myself have worked as an industrial worker, that too in a chemical company. I know their sorrows, their difficulties, and I have seen their tears. With that experience, I would like to say in totality that I am totally against this Bill.

Now what is going to happen? You have given open general license for the employer to do things in accordance with their rights. They can do hire and fire activity; they can go to any limit. Similarly, collective bargaining power is the most useful weapon a worker can have, a union can have. You are diminishing that also. Similarly, you have to understand what is going to happen to job security. Once this legislation is implemented, bargaining power will not be there, negotiations will be according to their liking. All these things will take place. Similarly, you can do a lot of concession for the employer. But at the same time, as collectively pointed out by my friends, working class who contributed tremendously for the wealth of this nation should not be disarmed. That is what I want to say.

15.00 hrs

Similarly, you can do a lot of concession for the employer class. But at the same time, as correctly pointed out by my friends, the working class who contributed to the creation of wealth of this nation, should not be disarmed. That is what I would

like to say. You have done a lot of things. Now, there is the lay-off. You have given a liberal attitude for declaring lay-off according to the desire of the employer. That is also a very, very difficult thing. You have given a lot of concessions. You have given a lot of general kinds of things.

Sir, I would like to say that you have made obstacles and hurdles in front of the trade union movement. Getting registration by the trade union has become a difficult task. I would like to know what you are doing for this. That is a right. They fought as correctly mentioned by my friend Mr. Radhakrishanan. It is a very glorious history. They fought and got all these kinds of things. That is what you want to spoil now.

Similarly, I would like to ask why contracts are going on. The working class is fully aware. Now, there is a myth that trade unions are responsible for the militancy they are using, and that is the reason for its non-implementation in industries, etc. That is the false statement. Working class which is fully aware that they must do that kind of intervention and we are for the growth of the industry. That is one thing. The other thing is to consider the working class contribution. If you are not regarding that, I would say that, it is a thankless attitude towards them.

Now, I would like to come to the employment situation in the country. The country is now facing highest unemployment situation in the history of the country. That is the thing going on. Fixed contracts are going on. In respect of contracts, systematic kind of a thing is not there. There is *ad hocism*. They are not given permanent employment. They are using all these kinds of tricks. What is happening? If that is there, they can be exploited like anything. Management can do and the employer can do anything and pay them on per piece basis. These kinds of things are developing in our country.

Now, I would like to come to the permanent job. If they introduce this kind of *ad hocism*, workers right will not be regarded. The management knows that this can be used as a weapon against them, Similarly, you are giving all kinds of concessions, which is improper. We all know that.

Then there is one more burning issue. You have forgotten it. When you are trying to protect the right of the employer, you are forgetting the rights of the workers. Now, regarding the safety risks at workplace, a lot of accidents are taking place. Nobody takes care of these things. As I told you in the beginning, there is the problem of wage exploitation. Hit and health hazard is another problem. Similarly,

there are labour laws. We say that by bringing the Child Labour Prohibition Act, we have solved all the problems. The child labour still remains and it needs to be addressed.

Regarding the sufferings of unrecognized worker, my learned friend has explained that. That has also to be addressed. The issue of widespread occupational diseases from the industry also needs to be addressed. The closure of industries is also happening without even the notice is given. There is an issue of denial of minimum wages. That also needs to be addressed. So, what I would like to say is that the employer is a part, the employees are also a part. You should not forget the rights and responsibilities of the employees. You should not forget their contribution to this nation. You are really showing a thankless kind of attitude against the workers. I express my vehement objection to these kinds of activities.

I conclude. Thank you very much.

श्री सुदामा प्रसाद **(आरा) :** सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं । मैं इस विधेयक के खिलाफ बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । सरकार ने जो चार श्रम कानून बनाए हैं, वे दरअसल भारत के श्रमिकों की गुलामी के दस्तावेज हैं । यह मजदूरों के शोषण और उत्पीड़न को बढ़ावा देने वाला विधेयक है । पूंजीपतियों के हाथों में इन कानूनों के जरिए हंटर थमाया गया है, इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं ।

महोदय, आज पूरे भारत में इन कानूनों को खत्म करने, वापस लेने के लिए और पुराने मनेरगा कानून की बहाली के लिए आम हड़ताल हो रही है । इसमें करोड़ों किसान मजदूर शामिल हैं । मेरी गुज़ारिश है कि उनकी मांगों को पूरा किया जाए और उनका सम्मान किया जाए क्योंकि ये लोग ही इस देश को चला रहे हैं ।

महोदय, यह कितनी विडम्बना की बात है कि कहा जा रहा है कि वर्ष 1926 का कानून औपनिवेशिक है इसलिए इसे खत्म कर रहे हैं । पहले के कानूनों में सौ मजदूरों को कारखानों में यूनियन बनाने का अधिकार था, अब इसकी संख्या 300 कर दी गई है । पहले दस प्रतिशत मजदूरों की संख्या के आधार पर यूनियन बनाने का अधिकार था, अब इसे 51 प्रतिशत कर दिया गया है । पहले हड़ताल करने के लिए कारखानों में नोटिस देने का समय दो सप्ताह था, अब इसे बढ़ाकर दो महीने कर दिया गया है । यह बिल न्यूनतम मजदूरी के बारे में कुछ नहीं कहता है कि मजदूरों को कितनी मजदूरी देंगे । अब महीने के हिसाब से नहीं, दिन के हिसाब से नहीं बल्कि घंटे के हिसाब से मजदूरी देंगे । हायर एंड फायर कह रहे हैं, लिखो-फेंको । अब इनके लिए मजदूर लिखकर फेंकने की चीज हो गई है । दरअसल इन कानूनों का मतलब एक ताकतवर इंसान के हाथ-पैर बांधकर किसी आदमखोर शेर के सामने डालना है, जब उसका मन करेगा, खा लेगा । इसीलिए मैं इसका विरोध कर रहा हूं और हड़ताल भी इसीलिए हो रही है ।

महोदय, ग्रामीण इलाकों में काम के अधिकार को लेकर खेत मजदूर और ग्रामीण मजदूर हड़ताल पर हैं । मेरी आपसे गुज़ारिश है और आपके माध्यम से सरकार से गुज़ारिश है कि आप इनका सम्मान करें क्योंकि यही किसान और मजदूर खेतों में अनाज पैदा करते हैं । इनकी मेहनत से ही खेतों में हरियाली दिखाई देती है । जब इन मजदूरों के पास काम नहीं होता है, तब ये लोग ही कलकारखानों की चिमनियों से धुआं निकालते हैं और

महानगरों में बड़ी-बड़ी बिल्डिगें बनाते हैं । मेरी गुज़ारिश है कि आप इनके श्रम का सम्मान करें । मैं आपसे फिर अपील करता हूं कि आप सरकार को हिदायत दें कि इन कानूनों को वापस ले ।

आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद ।

DR. D. RAVI KUMAR (VILUPPURAM): Hon. Chairman Sir, Vanakkam. This Bill denies as well as goes against the bona-fide intention of our forefathers who created our Constitution. Moreover, our revolutionary leader and the framer of our Constitution Dr Ambedkar was also a Labour Member during the British rule. Dr Ambedkar restored several rights of the Indian working class including the right to join a Trade Union, right for standard working time as eight hours a day, the right to Strike, and the rights of women workers.

This Bill completely snatches away all these rights. Today, crores of workers and farmers across India are protesting against this Bill. While expressing my solidarity with all those agitating workers in the first instance I oppose this bill. Clause 25 of this Bill states that a notice about Strike should be issued 14 days in advance. This clause was earlier only in a few companies. Today, it has been extended to all industries and companies. Similarly, in Clause 23 of this Act, it is said that once reconciliation has begun, the right to strike does not exist. That too is a deprivation of rights of these workers. Although the right to strike has been granted. This Bill has created a situation where no worker can engage in strike from now on.

Apart from that, it is said that for getting recognition, a Trade Union should have 51% of workers as its members. This provision therefore cancels the recognition of all recognized Trade Unions at one go. Apart from that anybody can become part of the Negotiation Council even if they have 10 0r 20 Members. This provision can pave way for the employers to create a Trade Union favourable to them, and to control and curtail the rights of the workers. This is completely snatching away all the rights of our workers.

15.09 hrs (Shri N. K. Premachandran *in the Chair*)

Not only that, this Bill, which says that if workers commit mistakes, they can be dismissed. As defined in Section 38, on the contrary, if employers make mistakes, they can only be fined with a small penalty. I would like to point out that this is also completely against the existing Trade Union rights. Not only that, it has given employers an opportunity to employ temporary workers under the name of fixed-term employment. At the same time, the rights of permanent

workers have been denied by way of removing their rights for forming Trade Union. This has created a situation where workers will no longer be employed permanently in any industry or an enterprise.

Our Hon. Prime Minister, during the year 2014, promised that he would create permanent employment opportunities for 2 crore people every year. But I would also like to point out that this Bill is creating such a situation where there will be no permanent employment opportunities in industrial enterprises. This shows that they have completely violated their own promise. In addition, at the time of drafting the legal framework that creates these labour groups, domestic workers have been left out. There are approximately two and a half crore domestic workers in India. They are neither included in the Industrial Disputes Act, nor in the Minimum Ages Act.

In 1978, a bench headed by Justice V. R. Krishna Iyer defined labour, expanded it, and made a recommendation to include everyone under its purview. But so far, more than two-and-a-half crore domestic workers do not come within the definition or purview of labour. Neither the minimum wage nor their working hours are defined for them. It is also pointed out that this is against the decisions of the Indian International Labour Organization, and they should be given due recognition. They should also be given adequate protection.

Hon. Supreme Court has recently left this responsibility to vest with the State governments. The Union Government, which interferes with the rights of the State Government in other matters, should take responsibility for the protection of rights of domestic workers besides formulating appropriate rules for this purpose. Thank you for this opportunity. Vanakkam.

SHRI SELVARAJ V. (NAGAPATTINAM): Vanakkam. I look at the Industrial Relations Code Amendment Bill, 2026, which we are discussing in this Lok Sabha today, as a continuation of a legal attempt to take away the fundamental rights of the working class of the country. With great concern, on behalf of the Communist Party of India, I register my strong opposition to this Bill.. The governments concern for legal clarity through this Amendment Bill seems to be a completely wrong priority in todays socio-economic environment. When crores of workers in the country are on strike and are raising slogans about their livelihood, job security and union rights, the government, is not addressing their immediate problems. Rather the

Government is engaged in technical changes including explanation for repealing old laws, and in all it ignores the real essence of labour welfare. More than legal clarity, what is needed today is clarity about rights. Today, crores of workers in the country are on a general strike. They are not just on strike. What they are asking for is very simple and fair: to repeal all four Labour Codes. But, this government is not only reluctant to listen to the real concerns of the Trade Unions, but also ignoring their strike by removing all the rights which are hard earned. This bill will reduce the right of workers to strike; weaken the right to form trade unions; eliminate permanent employment opportunities; and give unlimited freedom to the employers. The governments action of anarchically tabling this Bill to justify the four Labour Codes that constitute the framework of capitalist domination is strongly condemnable. The rights of workers in this country were not achieved in a day. They are the result of several struggles held generation after generation. The eight-hour work for a day, minimum wage, safety regulations, Trade Union rights all these are historical achievements earned after shedding blood and sweat of the workers. Today, this Bill ignores that history. The workers who are fighting on streets today are not the Parties in the Opposition. They are the productive force of this country. A government that does not listen to them ignores the very essence of democracy. Democracy is not just about winning elections, rather democracy is about listening to the voice of the people. This Bill is not only being brought at the wrong time but also with the wrong motive. Trying to impose a law against the workers on the very day of the general strike reveals the arrogance of this government and its attitude towards the workers. Therefore, this Industrial Relation Code (Amendment) Bill should be withdrawn immediately. Wide ranging consultations should be held with the Workers' Unions.

In addition to demanding a complete review of Labour Codes, I present before you a poem written by the great poet Mahakavi Bharathi about industry and workers.

You can melt Iron; design machines,

Extract juice from sugarcane and

Dive into the sea and catch hold of a worthy pearl.

Shed the sweat on this earth and

Perform one thousand jobs,

I sing in praise of you,

You yourself an artistic work created by Lord Brahma.

Make earthenware pots, Cut the tree and make land even,

Give me vegetables to eat, and cultivate by ploughing.

Make milk and ghee, and Weave the thread for a dress.

Angels gone to heaven will protect you; as you protect this world.

Compose songs and poems, besides dance of Bharathanatyam.

You show the truth of the subject matter,

And see and collect the scriptures.

Increase virtues in the country, and feed them with pleasures.

You are the God visible to the eyes of human.

They are bringing this Bill which is against the thoughtful poetry of Mahakavi Bharathi. I strongly condemn that act.

Thank you. Vanakkam.

श्री राजू बिष्ट **(**दार्जिलिंग**) :** माननीय सभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ।

अभी सदन में, अपोजिशन के कुछ माननीय सांसदों ने नये श्रम कानून के बारे में कई गलत आंकड़े और तथ्य रखे । मैं उन आंकड़ों को सही करने का प्रयास करूँगा । चूंकि मैं बंगाल से आता हूँ और बंगाल के लोगों की आंकड़ों के ऊपर यादाश्त बहुत मजबूत होती है । हालांकि, मैं टीएमसी के नेताओं की गारंटी नहीं लेता हूँ ।

मैं सबसे पहले आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने मुझे इंडस्ट्रियल रिलेशन्स कोड (अमेंडमेंट)बिल, 2026 पर अपने विचार रखने का अवसर दिया ।

हम सब जानते हैं कि आज़ादी के बाद बहुत लम्बे समय तक श्रमिकों का इस देश में शोषण होता रहा । इन 75 वर्षों में से कांग्रेस ने 60 वर्षों से ज्यादा तक राज किया । कांग्रेस के शासन में श्रमिक वर्ग कभी भी उनकी प्राथमिकता में नहीं था । यह सच्चाई है । वर्ष 2020 में, मोदी जी के नेतृत्व में, जो नया श्रम कानून पारित हुआ, उसके कारण 50 करोड़ से ज्यादा श्रमिकों को आज सम्मान से जीने का अधिकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया ।

पहले के जो श्रम कानून थे, वे लगभग 29 अलग-अलग प्रकार के कानूनों के जंजाल थे । उन सभी को चार कानूनों- the Code on Wages; the Code on Social Security; Occupational Safety, Health and Working Conditions Code; and Industrial Relations Code में समाहित थे, जो इसी सदन

में पारित हुए । इसके कारण श्रमिकों को अनेक फायदे हुए । अभी बहुत-से लोग यहां पर गलत जानकारियां रख रहे थे । श्रमिकों को जो फायदे हुए हैं, उनको मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूँ ।

इस नये कानून में गारंटी दी गई है कि टाइमली वेजेज़ मिलेंगे । नैशनल लेवल पर एक फ्लोरवेज़ होगा । कोई भी मिनिमम वेजेज़ हो, श्रमिकों को उस फ्लोरवेज़ से कम वेजेज़ नहीं दिया जाएगा । इस नये कानून के अन्दर, श्रमिकों को अपॉइंटमेंट लेटर की गारंटी भी दी गई है । महिलाओं के लिए बराबर काम के लिए बराबर भुगतान की भी व्यवस्था की गई है । इसमें 50 करोड़ श्रमिकों को सोशल सिक्युरिटी की गारंटी दी गई है । जो फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉइज हैं, उनके लिए ग्रैच्युटी भी मिलेगी ।

इसमें यह भी गारंटी दी गई है कि जिनकी 50 वर्ष से अधिक की आयु है, उनका एनुअली हेल्थ चेकअप होगा । ईएसआईसी का कवरेज भी सभी को मिलेगा । मैं बंगाल के दार्जिलिंग से आता हूँ । वहां विशेषकर दार्जिलिंग के चाय और सिनकोना बागानों के श्रमिकों को इससे बहुत लाभ होगा।

महोदय, मुझे यह बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि आज पश्चिम बंगाल में अनस्किल्ड लेबर्स के लिए भी मिनिमम वेजेज़ 350 रुपये हैं, लेकिन बागान श्रमिक अधिनियम, 1951 के अंतर्गत चाय बागान में काम करने वाले श्रमिकों को मात्र 250 रुपये मिलते हैं ।

<u>15.20 hrs</u> (Shri Krishna Prasad Tenneti *in the Chair*)

इस नए कानून के पारित होने के बाद उनको कम से कम 350 रुपये की मजदूरी मिलेगी । इस नए कानून में बागान श्रमिक अधिनियम, 1951 को हटा दिया गया है, क्योंकि अंग्रेजों ने इस कानून को बनाया था, जोकि कई सालों से श्रमिकों को लूट रहा था । इस कानून को नए कानून में समाहित कर दिया गया है । अब समय पर उनको पेमेंट मिलेगा, ग्रेच्युटी भी मिलेगी और चाय बागानों के श्रमिकों को हर साल बोनस के लिए आंदोलन नहीं करना पड़ेगा । नए कानून की यह खासियत है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन के समक्ष चाय बागानों की कुछ समस्याओं को रखना चाहता हूं । विशेषकर नॉर्थ पश्चिम बंगाल के 30 से ज्यादा चाय बागान बंद हो गए हैं । वे चाय बागान बिना किसी अनुपालना के बंद हो जाते हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न चेंज नहीं होता है । उसके बावजूद कोई भी ओनरशिप चेंज कर लेता है और बागान किसी अन्य मालिक के हाथ में चला जाता है । जो चाय बागान बंद हो गए हैं, वहां के लोग पलायन करके अलग-अलग क्षेत्रों में काम करने के लिए जा रहे हैं । वहां के जो लोकल बाशिंदें हैं, वे पलायन कर रहे हैं । टीएमसी सरकार बहुत ही आसानी से रोहिंग्याओं और बांग्लादेशी घुसपैठियों को चाय बागानों में बसा रही है । (व्यवधान)

महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इनको बहुत तकलीफ हो रही है । लॉर्ड कर्जन ने जियोग्राफी के आधार पर पश्चिम बंगाल को बांटा था, टीएमसी और ममता दीदी डेमोग्राफी के आधार पर पश्चिम बंगाल को बांट रही है । (व्यवधान) मैं आज आपके समक्ष उसकी सच्चाई रखना चाहूंगा । चाय बागानों की 30 प्रतिशत जमीनें मालिकों को होटल्स और रिजॉर्ट्स बनाने के लिए दे दी गई हैं, लेकिन दार्जिलिंग के चाय बागान सन् 1860 से कार्यरत हैं । इतने वर्षों के बाद भी चाय बागानों के श्रमिकों को जमीनें नहीं दी गई हैं । टीएमसी सरकार लगातार उनके साथ मनमानी कर रही है । (व्यवधान)

महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि वह जमीन हमारे अपने पुरुखों की है । इन जमीनों पर हमारा अधिकार है और वह जमीन हमें मिलनी चाहिए । (व्यवधान) मैं आपसे डरने वाला नहीं हूं । आप मुझे धमकाइए

मत । (व्यवधान) मैं टीएमसी से नहीं डरता हूं । पश्चिम बंगाल की 10 करोड़ जनता भी आपसे नहीं डरती है । आपने पश्चिम बंगाल को लूटने का काम किया है । (व्यवधान)

माननीय सभापति **:** राजू जी, आप चेयर को संबोधित करते हुए बोलिए ।

(व्यवधान)

श्री राजू बिष्ट **:** महोदय, ये मुझको धमका रहे हैं । इनको लगता है कि कहीं भी इनकी चल जाएगी । मैं डरने वाला नहीं हूं । मेरे अंदर भी एक गोरखा का खून दौड़ रहा है । (व्यवधान)

महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन के समक्ष एक अहम मुद्दा रखना चाहूंगा । वर्ष 2023-24 के बजट सैशन के दौरान मोदी जी ने चाय बागानों के श्रमिकों, विशेषकर महिलाओं और बच्चों के लिए एक हजार करोड़ रुपये आवंटित किए थे । उसमें असम के लिए 600 करोड़ रुपये आवंटित थे । असम ने अपने श्रमिकों और महिलाओं को 600 करोड़ रुपये दे दिए हैं । पश्चिम बंगाल के पास 400 करोड़ रुपये पड़े हुए हैं । पश्चिम बंगाल सरकार वह पैसा श्रमिकों को नहीं दे रही है, क्योंकि चाय बागानों के लोगों के बीच मोदी जी पापुलर हो जाएंगे । इनको इस बात का डर लग रहा है । इनको यह नहीं पता है कि मोदी जी ऑलरेडी पश्चिम बंगाल में ममता दीदी से ज्यादा पापुलर हैं ।

महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से यह निवेदन करता हूं, विशेषकर माननीय मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं, नॉर्थ पश्चिम बंगाल में चाय बागानों में 5,00,000 से अधिक श्रमिक कार्यरत हैं । जो 400 करोड़ रुपये हैं, हरेक चाय बगान के श्रमिकों को टी बोर्ड और डीबीटी के माध्यम से यह पैसा सीधे उनके खाते में भेजने का काम किया जाए । मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं । (व्यवधान)

माननीय सभापति **:** राजू जी, आप 30 सेकेंड्स में अपनी बात पूरी करिए ।

श्री राजू बिष्ट **:** महोदय, मैं नेपाली भाषा में कुछ बात कहना चाहता हूं ।

*People from our area Darjeeling,Terai and Doors are demanding justice for a long time.

Sir I am speaking in Nepali, my mother tongue.

As a result, many agitation took place in the region. We were hoping that our aspirations will be realised through the autonomous body GTA. However, the Government of West Bengal has not allowed any effective management of the GTA. Gorkhaland agitation started once again in 2017.

This region is very sensitive from the point of view of national security as it shares land borders with Bangladesh, Nepal and Bhutan, which is very near to China. Thousands of Rohingyas, and illegal Bangladeshi immigrants have intruded into this area during the last decade and unfortunately, the ruling party in the State has been using them as a vote bank.*****

श्री हनुमान बेनीवाल **(नागौर) :** माननीय सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि सदन में आज औद्योगिक संबंध संहिता (संशोधन) विधेयक, 2026 पर हो रही इस चर्चा में आपने मुझे बोलने का मौका दिया है ।

सभापति जी, यह केवल एक विधेयक पर नहीं, बल्कि देश के करोड़ों श्रमिकों के भविष्य को लेकर चिंता की बात है, जिस पर सारे वक्ता यहां बोल रहे हैं ।

महोदय, यह सच है कि उद्योगों को सरल नियम चाहिए । यह भी सच है कि निवेश और रोजगार बढ़ाने के लिए सुधार की आवश्यकता है । लेकिन, मेरा सरकार से यह प्रश्न है कि क्या सुधार का अर्थ श्रमिक अधिकारों को कमजोर करना है? क्या विकास का अर्थ सामाजिक सुरक्षा का क्षरण है?

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि यह विधेयक तकनीकी संशोधन के नाम पर श्रमिक अधिकारों को ज्यादा कमजोर करने की दिशा में एक और कदम है । सरकार यह कहती है कि यह विधेयक स्पष्टता के लिए है । यदि ऐसा है, तो देश भर के ट्रेड यूनियन क्यों इसका विरोध कर रहे हैं? क्या कारण है कि श्रमिक असुरक्षित महसूस कर रहे हैं?

सभापति जी, सरकार का तर्क है कि यह विधेयक छोटा सा है । मैं एनडीए सरकार से पूछना चाहता हूं कि आपका यह विधेयक आकार में जरूर छोटा हो सकता है । लेकिन, हमारी अर्थव्यवस्था की जो रीढ़ है, यह विधेयक श्रमिक वर्ग के अधिकारों और सुरक्षा से जुड़ी बड़ी-बड़ी समस्याओं को दरकिनार करता है । इसलिए, आप श्रमिकों के उन मौलिक मुद्दों को क्यों छोड़ रहे हैं, जिनके कारण न केवल श्रमिक वर्ग, बल्कि पूरा औद्योगिक माहौल असंतुलित हो गया है ।

सभापति महोदय, सरकार श्रम कोड्स में बदलाव लेकर आई है । इसके कारण बड़ी चिंता यह है कि श्रम कोड्स में किए गए बदलावों ने श्रमिकों के मौलिक अधिकारों को कमजोर कर दिया है। कई श्रमिक समूह अब अपने बुनियादी अधिकारों, जैसे सामूहिक सौदेबाजी, उचित वेतन, संरक्षित नौकरी और हड़ताल के अधिकार को खोता हुआ महसूस कर रहे हैं । यह कोई छोटी बात नहीं है । इसलिए, सरकार को ऐसे बदलाव करने से पहले संविधान की मूल भावना का अध्ययन करने की आवश्यकता है ।

सभापति जी, मैं इस विधेयक पर चर्चा करते हुए केवल राजनीतिक मतभेद व्यक्त नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं संविधान की उस व्याख्या की ओर सदन का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं, जिसे स्वयं माननीय सुप्रीम कोर्ट ने समय-समय पर स्पष्ट किया है ।

सभापति महोदय, अनुच्छेद-14 हमें समानता का अधिकार देता है । यदि श्रमिकों की परिभाषा संकुचित कर दी जाती है और बड़ी संख्या में कामगार कानूनी सुरक्षा से बाहर हो जाते हैं, तो यह समानता के सिद्धांत पर प्रश्न उठाता है ।

सभापति जी, अनुच्छेद-19(1)(c) हमें संघ बनाने की अनुमति देता है । ट्रेड यूनियन बनाना और सामूहिक सौदेबाजी करना मौलिक अधिकार है । यदि हड़ताल के लिए कठोर पूर्व-शर्तें, नोटिस अवधि और दंडात्मक प्रावधान अत्यधिक कड़े किए जाते हैं, तो यह इस अधिकार को व्यवहार में निष्प्रभावी बना देता है । हड़ताल करने का अधिकार मजदूर का हथियार माना जाता है । इसलिए, मेरा आग्रह है कि इसमें संशोधन करके आप नए सिरे से विचार करें ।

सभापति महोदय, अनुच्छेद-21 हमें जीवन और गरिमा का अधिकार देता है । सुप्रीम कोर्ट ने अनेक निर्णयों में कहा है कि जीवन का अर्थ केवल अस्तित्व नहीं, बल्कि, गरिमापूर्ण जीवन है । नौकरी की असुरक्षा, मनमानी छंटनी और विवाद निवारण में देरी, ये गरिमा के अधिकार को प्रभावित करते हैं । इसलिए, आप लोग यह विधेयक लाकर संविधान की मूल भावना और इन अनुच्छेदों की अवमानना कर रहे हैं ।

सभापति महोदय, अब मैं राज्य के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की बात करूंगा । आर्टिकल-38 सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात करता है । आर्टिकल-39 आजीविका के साधनों की सुरक्षा की बात करता है । आर्टिकल-43(A) उद्योगों में श्रमिकों की भागीदारी की बात करता है । इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आर्टिकल-38, 39 और 43(A) केवल सजावटी शब्द नहीं हैं । ये आर्टिकल्स शासन की दिशा तय करते हैं । यदि आप यह विधेयक पास करवा लेते हैं, तो श्रमिकों की भागीदारी और सुरक्षा के जो राइट्स उन्हें संविधान ने दिए हैं, उन्हें न केवल आप कमजोर कर रहे हैं, बल्कि, आप संवैधानिक आदर्शों से भी दूर जा रहे हैं । इसलिए, आपको मंथन करने की जरूरत है । (व्यवधान)

सर, मैं कहूंगा कि आप मेरा थोड़ा विशेष ध्यान रखें । (व्यवधान) राजस्थान के उद्योगों में सीमेंट फैक्ट्रियां, रिफाइनरी जैसे क्षेत्रों में मजदूरों के हितों की अवहेलना से जुड़े कई मामले समय-समय पर सामने आते हैं । वहां मौत हो जाती है । अगर वे मजदूर आंदोलन नहीं करेंगे, तो उनकी बात कोई भी कॉर्पोरेट या दूसरे लोग नहीं मानेंगे । आंदोलन और हड़ताल के माध्यम से ही वे लोग, जो मृतक होता है, उसके परिवार को न्याय दिलाते हैं, उन्हें मुआवजा दिलाते हैं ।

मंत्री महोदय, मैं अपने राज्य राजस्थान की दूसरी बात करूं, तो श्रमिक कानूनों में सुधार, श्रमिक पंजीकरण, सामाजिक सुरक्षा योजनाएं और सिलिकोसिस नीति सरकार द्वारा लागू की गई है । लेकिन, जमीनी स्तर पर इनके प्रभावी क्रियान्वयन की आवश्यकता है । सबसे ज्यादा भ्रष्टचार श्रम विभाग के कार्यालयों में व्याप्त है ।

सभापति जी, मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि हम उद्योग विरोधी नहीं हैं, हम निवेश विरोधी नहीं हैं, हम सुधार विरोधी नहीं हैं, लेकिन हम श्रमिक विरोधी कानून स्वीकार नहीं कर सकते हैं । भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ मजदूर, कर्मचारी, कारखाना कर्मी, संविदा श्रमिक, गीग वर्कर, इन सबके अधिकारों की रक्षा करना इस सदन का कर्तव्य है । कोई भी विकास तब ही सार्थक है, जब वह न्यायपूर्ण हो । विकास तब ही सही है, जब वह समावेशी हो ।

सभापति महोदय, मैं सरकार से यह भी आग्रह करता हूं कि विधेयक पर पुनर्विचार करे और विधेयक को संसदीय स्थायी समिति के पास भेजा जाए । ट्रेड यूनियनों, उद्योग संगठनों और राज्य सरकारों के साथ व्यापक परामर्श किया जाए ।

सभापति महोदय, हड़ताल और सामूहिक सौदेबाजी से जुड़े प्रावधानों में संतुलन लाया जाए। औद्योगिक न्यायाधिकरणों की समयबद्ध स्थापना सुनिश्चित की जाए । श्रमिक भागीदारी को वास्तविक रूप दिया जाए ।

अंत में मैं माननीय मंत्री जी से एक मांग करना चाहता हूं । मेरे संसदीय क्षेत्र नागौर में तीन डॉक्टरों की ईएसआईसी डिस्पेंसरी का प्रस्ताव लंबित पड़ा है । मेरा अनुरोध है कि आप उसे जल्द से जल्द स्वीकृति दिलवाने के निर्देश जारी करें ।

सभापति महोदय, मैं आखिर में यह कहना चाहूंगा कि उद्योग लग रहे हैं, रिफाइनरीज़ आ रही हैं, फैक्ट्रियां आ रही हैं, जगह-जगह आप जमीन अधिग्रहित कर रहे हैं, नौकरियां आप दे नहीं रहे हैं । इसलिए, मेरा आग्रह है कि

स्टेट्स और दिल्ली स्थानीय लोगों के लिए 80 प्रतिशत रोजगार का कानून बनाएं । जो संविदा कर्मी आप लगा रहे हैं, उनका क्या भविष्य है? उनका क्या फ्यूचर है? इस बारे में भी सरकार को ठोस नीति बनाने की आवश्यकता है ।

हम इस विधेयक का विरोध करते हैं और मांग करते हैं कि इसे वापस भेजना चाहिए ।

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Thank you very much, Mr. Chairperson, Sir. I rise to support the millions of workers who are on the streets of India as a part of the all India strike by the workers against the implementation of these four Labour Codes, as these four Labour Codes are taking away the basic democratic right of the workers to form the association, to strike and to have the collective bargaining capacity.

The basic democratic right of the workers is the collective bargaining. If you go through the Industrial Relations Code and other Codes, the collective bargaining right is the basic fundamental right of the workforce, which is being taken away. The right to strike is being restricted and also so many other provisions are there by which anti-labour programmes, policies and provisions are being initiated by the implementation of the Labour Codes.

First of all, I humbly demand from the hon. Minister and the Government to withdraw all the Labour Codes and to have a consensus of the workers, because today the strike is being called by ten trade unions recognised by the Government of India, other than Bharatiya Mazdoor Sangh (BMS). All the ten central trade unions are today on the strike except BMS. I feel that BMS is also having reservations on the four Labour Codes. This is my authentic information. (*Interruptions*) In such a situation, I would like to urge upon the Government to look into the matter because it is a very sensitive and genuine cause of the workforce.

As Shri E. T. Mohammed Basheer ji has rightly said, the workforce is contributing to the economic growth. They are contributing to the wealth of the country, but unfortunately the most neglected section of this Government during the 11 years of this Government is none other than the workforce of the country. That has to be rectified. That is my first point.

Sir, Now, I am coming to this Bill. Shri Jagdambika Pal ji was talking that the confusion has arisen because of the implementation of this Labour Code. How has this confusion arisen? I am also seeking a ruling from you regarding this point because this is a legislative process. Sir, there is the Act of 2020. In Section 104 of the Industrial Labour Code, 2020, there is a provision for repeal. By virtue of

Section 104 of the original Bill which was passed by Parliament, you know that all these three Acts are repealed. Now, why is the Government coming again with a repeal clause? The Government has to answer. Sir, it is a grave mistake committed by the Ministry and by the Government. Who is responsible for it? Shri Jagdambika Pal ji was saying that there is such a confusion. I would like to know from the hon. Minister because hon. Chairperson, you may kindly see, all these four Labour Codes were passed without having proper and fruitful discussion in the House. That is the reason this error has crept in. Suppose, the Bill was discussed in Parliament, definitely we would have raised this issue. What is the issue? According to and by virtue of Section 104 of the original Act which was passed by Parliament, repeal power is delegated to the Executive. That is the issue.

Sir, I would like to quote a reference to Delhi Laws Act, 1951, the Presidential Reference under Article 143 of the Constitution. The Supreme Court has very specifically stated that the repealing of an Act is an essential legislative function that cannot be delegated because it is absolutely in the domain of Parliament. Only Parliament can repeal a Bill. By virtue of Section 104 of the Act, the Government has entrusted the power to the Executive to repeal a Bill, which means it is totally illegal and unjustifiable. It cannot be implemented. That is the reason why the hon. Minister is now coming with a fresh Bill so as to amend and repeal these clauses. (*Interruptions*) Sir, I am seeking a ruling also on this issue.

Further, I have seen an amendment today. The Government is coming with an amendment not the Government but a Member from the Treasury Benches. Dr. Daggubati Purandeswari ji is coming with an amendment. I notice that it has already been circulated. Kindly go through that notice also. Again, it is going to create confusion. At the time of moving that amendment, I can very well substantiate that point. I may be given time at that time.

It is a grave mistake committed by the Labour Ministry. That is the reason why the hon. Minister has come here.

What is the meaning of limits of delegated legislation? Delegating legislation does not mean that they can be repealed by the Executive. It is the power and the domain of Parliament which is taken away by the Act. This is the reason why the Government is not implementing the actual Labour Code.

Regarding labour reforms, I would say that the interests of the workers are totally ignored. It is against the Fundamental Right, Article 19(c). The Code claims to bring

greater labour market flexibility. Now, if a management had to declare layoff, they cannot do it now due to the clause of 300 workers under the new provision. That means 85 per cent of the industrial establishments will be outside the ambit of this law.

There is a hire-and-fire policy. Similarly, the Standing Orders are not applicable to so many establishments. The appropriate Government, whether Central or State, can issue orders by which the Standing Orders are not applicable to the Government. In conclusion, it is totally anti-labour and anti-poor. Once again, I demand the Government to consider the demands of the trade unions, the workforce of the country. They are contributing to the wealth of the country. That has to be taken into consideration. I would request the Government to withdraw this Labour Code.

एडवोकेट चन्द्र शेखर **(नगीना) :** धन्यवाद सभापति जी कि आपने मुझे "औद्योगिक संबंध संहिता (संशोधन) विधेयक, 2026" पर मेरी बात रखने का मौका दिया ।

''किसी को क्या बताएं कितने मजबूर हैं हम,

पर इतना समझ लीजिए मजदूर हैं हम ।''

सभापति जी, मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसको उसकी मजदूरी मिल जाए यह बहुत महत्वपूर्ण है । मैं बाबा साहब अंबेडकर जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने 15 अंगस्त, 1936 को इंडियन लेबर पार्टी बनायी और मजदूरों की लड़ाई की शुरूआत की । वर्ष 1942 में जब वे लेबर मिनिस्टर थे, तो 12 घंटे से घटाकर 8 घंटे काम किया, महिलाओं के लिए मातृत्व लाभ दिया और लेबर को सामाजिक सुरक्षा दिलाने का काम किया ।

सभापति जी, अब मैं बिल पर आता हूं । यह कहा जा रहा है कि यह केवल एक "तकनीकी संशोधन" है, लेकिन जब बात श्रमिकों के अधिकारों, औद्योगिक संतुलन और करोड़ों परिवारों के भविष्य की आएगी, तब कोई भी संशोधन केवल तकनीकी नहीं होता । हर शब्द का असर होता है, हर प्रावधान का परिणाम होता है । महोदय, वर्ष 2020 में सरकार ने 29 श्रम कानूनों को चार श्रम संहिताओं में समाहित किया । उस समय भी विपक्ष ने कहा था कि सुधार के नाम पर श्रमिकों की सुरक्षा कमजोर न की जाए । महोदय, यह विधेयक कहता है कि पुराने कानून ट्रेड यूनियन अधिनियम, 1926, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 और औद्योगिक रोजगार अधिनियम, 1946 का निरसन वैधानिक रूप से हुआ है, लेकिन मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या इन पुराने कानूनों में मौजूद श्रमिक सुरक्षा प्रावधानों का मूल्यांकन किया गया है? क्या राज्यों और श्रमिक संगठनों से व्यापक परामर्श हुआ है? क्या स्थायी आदेश अधिनियम के तहत श्रमिकों को मिलने वाली सुरक्षा कमजोर नहीं हुई है? जिनके लिए कानून लागू किया, उनसे आपने कोई चर्चा की है? ट्रेड यूनियंस हड़ताल पर क्यों हैं?

सभापति जी, औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 के तहत 300 तक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों को छंटनी और तालाबंदी के लिए पूर्व अनुमति की आवश्यकता से मुक्त कर दिया गया है । पहले यह सीमा 100 थी । देश में 70 परसेंट से अधिक औद्योगिक इकाइयाँ 300 से कम कर्मचारियों वाली हैं । इसका मतलब बहुत बड़ी संख्या में

श्रमिक अब बिना सरकारी अनुमति के छंटनी का सामना कर सकते हैं । 300 कर्मचारियों की सीमा के तहत यदि छंटनी आसान होती है, तो सबसे पहले असुरक्षित वर्ग प्रभावित होंगे, जिनमें एससी, एसटी और ओबीसी के श्रमिक बड़ी संख्या में हैं ।

मेरा संसदीय क्षेत्र नगीना अपनी विश्वप्रसिद्ध लकड़ी नक्काशी उद्योग के लिए जाना जाता है । वहाँ हजारों कारीगर, छोटे उद्योगों में काम करते हैं । श्रमिक और पारंपरिक हुनर से जुड़े परिवार इस कानून से प्रभावित होंगे । हमारे क्षेत्र की अधिकांश इकाइयाँ 50 से 250 कर्मचारियों के बीच हैं । यदि 300 की सीमा के तहत छंटनी की अनुमति बिना पूर्व स्वीकृति के दी जाती है, तो इन छोटे उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों की नौकरी की सुरक्षा पर सीधा असर पड़ेगा । यह कानून उद्योग को हायर और फायर की छूट देता है ।

सभापति महोदय, देश के औद्योगिक और असंगठित क्षेत्र में बड़ी संख्या में एससी, एसटी और ओबीसी के श्रमिक कार्यरत हैं । सरकार यह सुनिश्चित करे कि औद्योगिक विवाद समाधान तंत्र, ग्रिवांस रिड्रेसल कमेटी और ट्रेड यूनियन संरचनाओं में इन वर्गों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व रहेगा । रोजगार निवेश से आता है, निवेश मांग से आता है, मांग आय से आती है और आय स्थिर रोजगार से आती है ।

सभापति महोदय, हम सुधारों के विरोधी नहीं हैं, हम अस्पष्टता के विरोधी नहीं हैं, लेकिन हम यह चाहते हैं कि श्रमिकों के अधिकार सर्वोपरि हों, रोजगार सुरक्षा सुनिश्चित हो, यूनियनों की स्वतंत्रता बनी रहे, राज्यों की भूमिका सम्मानित हो ।

नगीना के कारीगर केवल मजदूर नहीं हैं, बल्कि वे हमारी सांस्कृतिक विरासत के संरक्षक हैं। उनके हाथों की कारीगरी भारत की पहचान है । यदि औद्योगिक कानूनों में बदलाव से उनके रोजगार की स्थिरता प्रभावित होगी तो यह केवल आर्थिक नहीं, बल्कि सांस्कृतिक क्षति भी होगी ।

महोदय, मैं अपनी बात को खत्म करते हुए कहना चाहता हूं कि यदि सरकार वास्तव में श्रम सुधार को समावेशी बनाना चाहती है, तो उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि एससी, एसटी और ओबीसी श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा, बीमा, पेंशन तथा न्यूनतम वेतन का पूर्ण संरक्षण मिले ।

अगर हम उनके साथ होने वाले अन्याय पर लड़ने का अधिकार ही छीन लेंगे तो फिर वे कैसे अपनी बात को कह पाएंगे । जब हमें यहां मौका नहीं मिलता है या कोई बात होती है तो हम भी तो विरोध करते हैं । आप विरोध का अधिकार छीन कर, इतना समय लागू कर देंगे तो पूंजीपति उनको मार देगा । क्या सरकार पूंजीपतियों के बारे में सोचेगी या करोड़ों मजदूरों के बारे में, जिनके कंधों से देश बना है? इसलिए मैं इसको अपोज करने के लिए खड़ा हुआ हूं । मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करता हूं कि वह इसमें उचित संशोधन करे, जिससे श्रमिकों का नुकसान न हो, उनके साथ अन्याय न हो । धन्यवाद, जय भीम, जय भारत ।

श्री अब्दुल रशीद शेख **(**बारामूला**) :** चेयरमैन सर, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया ।

उठो मेरी दुनिया के ग़रीबों को जगा दो

ख़ाक-ए-उमरा के दर-ओ-दीवार हिला दो

जिस खेत से दहक़ाँ को मयस्सर नहीं रोज़ी

उस ख़ेत के हर ख़ोशा-ए-गन्दुम को जला दो । ।

चेयरमैन साहब, पब्लिक सेक्टर की हालत क्या है, मैं आपको अपनी मिसाल से बताता हूं । वर्ष 2008 में मैं भी पब्लिक सेक्टर में काम करता था । जब मैंने 14 साल के बाद नौकरी छोड़ी तो वर्ष 2008 से आज 2026 आ गया है और अभी तक मेरे कुछ एरियर्स वहां बकाया हैं । आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि मजदूर की हालत क्या है? मेरे प्रोफेट का कहना है कि मजदूर को मजदूरी पसीने आने से पहले दी जाए । क्या वजह है कि आज मजदूर से उसके स्ट्राइक करने का हक भी हम छीन रहे हैं । आप यह जानकर हैरान हो जाएंगे कि आज जम्मू कश्मीर में जो कैजुअल लैबरर्स फैक्ट्रियों में, कारखानों में लगे थे, वे हजारों की तादाद में हैं, आज वे हड़ताल नहीं कर रहे हैं । उनके बच्चों की ऐज आज 20-22 साल हैं और वे कैजुअल लैबरर्स 50 को क्रॉस कर चुके हैं । अभी तक वे रेगुलर नहीं हो रहे हैं । मैं सरकार से गुजारिश करूंगा, मिनिस्टर साहब के लिए इसमें अमेंडमेंड लाना पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन फ्यूचर के लिए कम से कम एक नेशनल पॉलिसी लाए । कैजुअल लैबरर्स, डेली वेजर्स, चाहे कारखानों में काम करने वाले लोग हों या सरकारी विभागों में काम करने वाले लोग हों, उनका रेगुलराइजेशन हो । वे लोग जो दर-बदर की ठोकरें खा रहे हैं, उनका चूल्हा कम से कम जले।

इसी तरह से करनाह से लेकर कन्याकुमारी तक जो पोर्टर्स बॉर्डर पर काम करते हैं, चाहे वे किसी भी फौज में हों, चाहे बीएसएफ में हों, जब उन्हें कुछ होता है तो उनके राइट्स बिल्कुल भी प्रोटेक्टेड नहीं हैं । अभी जम्मू कश्मीर के बारामूला में दो पोर्टर्स काम करते-करते उनकी जान चली गई, उनको मामूली मुआवजा मिलता है । उनको कोई कंपनसेशन नहीं मिलता है । हम सरकार से यह गुजारिश करेंगे कि जो पोर्टर्स बॉर्डर पर काम करते हैं, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करे । इसी तरह से जो अनस्किल्ड लेबर्स हैं, यहां मिनिमम वेजेज की बात हो रही है, 350 रुपये में क्या आता है? आप यहां देखिये कि जब हम पार्लियामेंट में बाथरूम में जाते हैं तो वहां पर जो मुलाजिम लोग हैं, वे हर बार एमपी को सलाम करते हैं और उनको ठीक तनख्वाह नहीं मिलती है । वह भी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है । हमें कम से कम ऐसे लोगों का ख्याल रखने की जरूरत है । सबसे बड़ी बात है कि अगर कारखाने में किसी मजदूर का एक्सीडेंट हो जाए, तो उनके लिए लेबर कोड तो हैं, लेकिन काम होता नहीं है । आपकी जो अदालतें हैं, आपने जो लेबर कोर्ट्स डेजिग्नेट किए हुए हैं, उसमें जो स्टेट कमिश्नर (लेबर) या बाकी लोग हैं, उनको लगता है कि उनकी पोस्टिंग बेकार जगह पर है । वे वहां पर टाइम पास के लिए जाते हैं । हमारी सरकार से यह गुजारिश होगी कि जब एक्सीडेंट में किसी मुलाजिम का, मजदूर का या कारकुन की बाजू कटती है, किसी का पांव कटता है, उसे दर-बदर की ठोकरें खानी पड़ती हैं तो मेहरबानी करके उनकी तरफ ख्याल दिया जाए ।

आखिर में मैं सरकार से यही गुजारिश करूंगा कि जैसे चंद्रशेखर जी ने जबर्दस्त बात कही कि जब हमारी बात नहीं सुनी जाती तो हम भी वेल में आते हैं । जब आप मजदूरों का गला काटेंगे, आपने इसमें मजदूरों की संख्या 100 से 300 की है और मान्यता 51 परसेंट कर दी है । (व्यवधान) सर, मैं सिर्फ 30 सैकेंड में अपनी बात कनक लूड कर रहा हूं । मेरी सरकार से इतनी गुजारिश है कि मजदूरों का गला मत घोंटिये । चाहे महल आपका बने या महल किसी का बने, उसमें मजदूरों का खून-पसीना लगा होता है । अगर हम उनकी मेहनत की कद्र न करे, तो वह बहुत बड़ा अन्याय होगा। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया ।

माननीय सभापति**:** श्री उमेषभाई बाबूभाई पटेल जी । आपको दो मिनट का समय दिया जाता है ।

श्री उमेषभाई बाबूभाई पटेल **(**दमन और दीव**) :** महोदय, मैं आज Industrial Relations Code (Amendment) Bill, 2026 पर चर्चा में भाग लेने के लिए खड़ा हुआ हूँ और इस अवसर पर अपने केंद्र शासित प्रदेश की गंभीर औद्योगिक समस्याओं को सदन के समक्ष रखना चाहता हूँ ।

महोदय, यह बिल केवल कानून का संशोधन नहीं है, बल्कि यह भारत के श्रमिकों, उद्योगों और औद्योगिक शांति से सीधे जुड़ा हुआ विषय है । हमारे प्रदेश में औद्योगिक इकाइयों की स्थिति आज बहुत दयनीय है । एक समय था जब टैक्स बेनिफिट और सस्ती बिजली दरों के कारण हमारे प्रदेश में बड़ी संख्या में उद्योग स्थापित हुए थे ।

लेकिन आज स्थिति यह है कि टैक्स बेनिफिट समाप्त हो चुके हैं, बिजली विभाग के निजीकरण के बाद बिजली के दाम बेतहाशा बढ़ गए हैं । परिणामस्वरूप उद्योग हमारे प्रदेश से पलायन कर रहे हैं। MSME इकाइयां बंद होने की कगार पर हैं । श्रमिक बेरोजगार हो रहे हैं ।

सभापति महोदय, यदि उद्योग ही नहीं बचेंगे, तो औद्योगिक संबंध संहिता किसके लिए बनेगा? मैं सरकार से स्पष्ट और ठोस मांग करता हूं कि हमारे प्रदेश को GST में विशेष राहत दी जाए । केंद्र सरकार अपनी 50 प्रतिशत GST हिस्सेदारी ले, लेकिन राज्य की 50 प्रतिशत GST माफ की जाए, क्योंकि हम केंद्र शासित प्रदेश हैं और यह मांग पूरी तरह न्यायसंगत है ।

सभापति महोदय, औद्योगिक संबंध किसी भी देश की आर्थिक रीढ़ होते हैं । मजबूत उद्योग, सुरक्षित श्रमिक, स्थिर अर्थव्यवस्था के संतुलन के बिना कोई भी देश विकसित नहीं हो सकता । मैं यह मानता हूँ कि औद्योगिक विवादों के लिए तुरंत समाधान की बात स्वागतयोग्य है । ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस के साथ इंडस्ट्रियल पीस का उद्देश्य सही है । एकीकृत कोड से कानूनी जटिलता कम होगी । यह सुधारात्मक कदम है, लेकिन महोदय, कुछ गंभीर प्रश्न हैं, जिनके उत्तर देश के मज़दूर जानना चाहते हैं । सरकार से मेरे प्रश्न हैं कि क्या इस संशोधन में ट्रेड यूनियनों और श्रमिक संगठनों से पर्याप्त परामर्श किया गया था, क्योंकि बिना मजदूर की आवाज़ सुने बना कानून जमीन पर कैसे टिकेगा? क्या हड़ताल और तालाबंदी के अधिकार के संशोधन से श्रमिकों के संवैधानिक अधिकार और सीमित नहीं हो जाएंगे? क्या यह बिल उनके हितों की वास्तविक सुरक्षा करता है या फिर यह केवल कागज़ी प्रावधान बनकर रह जाएगा? क्या यह संशोधन राज्यों से व्यापक परामर्श के बाद लाया गया है या फिर यह भी वन-साइज-फिट्स-ऑल नीति का उदाहरण है?

सभापति महोदय, मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मैं उद्योग विरोधी नहीं हूँ, मैं सुधार विरोधी भी नहीं हूं, लेकिन मैं मजदूर विरोधी कानून का समर्थन भी नहीं कर सकता । देश का मज़दूर मशीन नहीं है, आँकड़ा नहीं है । वह भारत की अर्थव्यवस्था का निर्माता है । यदि श्रमिक असुरक्षित होगा, तो उद्योग अस्थिर होंगे और अंततः देश को नुकसान होगा ।

सभापति महोदय, मैं सरकार से मांग करता हूँ कि इस बिल को जेपीसी को भेजा जाए । इस बिल पर व्यापक चर्चा की जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि श्रमिकों के अधिकार सुरक्षित रहें, उद्योगों को स्पष्ट और निष्पक्ष नियम मिलें, औद्योगिक शांति जबरदस्ती नहीं, संवाद से बने ।

सभापति महोदय, अंत में विकसित भारत का सपना तभी साकार होगा, जब विकास की दौड़ में मजदूर पीछे न छूटे । इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ । साथ ही मैं एक विनती भी करना चाहता हूं । जब कभी भी ऐसे बिल आएं, तो उन पर व्यापक चर्चा की जाए, औपचारिकता न हो, क्योंकि ये बिल हमारे भारत के संविधान की नींव होते हैं ।

ADV. FRANCIS GEORGE (KOTTAYAM): Thank you, Sir, for giving me this opportunity to speak on the Industrial Code (Amendment) Bill. The Government says that this is only a clarificatory Bill to avoid future unwarranted complications.

How do these complications occur? Or how come a situation arose where the Government suspected a complication. We aspire to be a Viksit Bharat in 2047.**

We aspire to be a Viksit Bharat by 2047. There will be lakhs and lakhs of industrial establishments and millions of workers in this country. Then only we can become a Viksit Bharat, a developed India.

n that case what do we need? We need a flawless labour code in the country.*

It will take care of all concerns of the industrial workers.

We need a law which will protect the interests and demands of the labourers. Why does the Government come up with an amendment? The Government says under Section 104……

By virtue of Section 104 of Industrial Code Bill of 2020, the earlier laws of 1926, 1946, 1947 vintage, those Bills were already automatically repealed.

So there are some doubts regarding the Statement of Objects and Reasons. What is said in this clause? Section 5(1) says that….

That means those who fall within the salary bracket up to Rs.18,000 will only be considered as workers. But it will be decided by the Government from time to time. That means the status of a worker depends on the decision of any future Government. That should not be there.

Secondly, Clause 6 says that the negotiating union means that the union should have 51 per cent of the workers in that union.

Also, Clause 16 states that for lay off, prior permission is required only if there are 300 or more workers, whereas the former provision was only 100. Now it has been raised from 100 to 300. Then only the prior permission is required to lay off workers.

Sir, also Section 17 talks of reskilling fund for retrenchment and that 15 days wages will be deposited by the employer. I would request for an amendment to the Government. The Government should also contribute an amount equivalent to 15 days or more of wages to this reskilling fund.

Also, Section 20 is about power of the Government to give exemption in public interest from any of the provisions of this law. This defeats all the rights or protection that has been given to the workers in this legislation.

HON. CHAIRPERSON: Sir, please conclude.

ADV. FRANCIS GEORGE: Sir, since the Government can go to any extent to exempt, citing public interest to the provisions of this law, this cuts at the very root of the good intentions, if there are any, of this legislation. So, I would request the hon. Minister to rethink on all these things and come with suitable amendments to the kind of retrograde regulation that has been brought in by the Government. Thank you, Sir.

श्री राजकुमार रोत (बांसवाड़ा) : सभापति महोदय, आपने मुझे औद्योगिक संबंध संहिता (संशोधन) विधेयक, 2026 पर बोलने का अवसर प्रदान किया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं । यह जो बिल आया है, तो इस बिल का देश भर के मजदूरों यूनियनों द्वारा विरोध किया जा रहा है । इस बिल के माध्यम से यह कहा जा रहा है और यह हकीकत भी है कि मजदूरों के जो अधिकार हैं, उनके साथ कंपनियों में जो शोषण, अत्याचार और भेदभाव होता है, उनको कम मजदूरी दी जाती है, वहां पर किसी की हत्या हो जाती है, वहां शोषण होता है, उनके राइट्स को कहीं न कहीं कमजोर करने के लिए जो बिल आया है, हम इस बिल का विरोध करते हैं ।

माननीय सभापति महोदय, मजदूरों का दर्द मालिक नहीं समझ सकता है । मजदूरों का दर्द समझना है, तो मजदूर बनकर सोचिए । मजदूरों का दर्द एक मजदूर ही समझ सकता है, मालिक नहीं समझ सकता है ।

माननीय सभापति महोदय, मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, वह डूंगरपुर, बांसवाडा संसदीय क्षेत्र है । इस क्षेत्र से अधिकतर लोग बाहर जाते हैं ।मैं अहमदाबाद, गुजरात और हिम्मतनगर के बारे में माननीय मंत्री महोदय से विशेष कर आग्रह करना चाहूंगा कि अभी जो स्थिति बन रही है कि वहां दो ऐसे प्रकरण आए हैं कि वहां जो कंपनी मजदूरी कराती हैं, वह उनका शोषण करती है । अगर कोई व्यक्ति गलती करता है तो वह उसकी हत्या कर देती है और वह उसे वहीं दफना देती है । हमारे गुजरात के डूंगरपुर जिले के बेलवा पंचेलका के ईश्वर रोत के राजपुर, मेहसाणा में मृत्यु हो गई और उसको वहीं दफना दिया गया । मतलब मजदूर के परिवार तक उसकी बॉडी भी नहीं जाने दी गई । वही सेम घटनाक्रम, भीलवाड़ा का रमेश भील, जो महाराष्ट्र के नासिक में मजदूरी कर रहा था, वह जिस कंपनी में, जिस ठेकेदार के यहां मजदूरी कर रहा था, उसी ठेकेदार ने उसकी हत्या कर दी और वहीं उसको दफना दिया गया । मतलब, देश के अंदर मजदूरों के ऐसे हालात हैं । ऐसे-ऐसे कई प्रकरण हैं । ये दो लेटेस्ट प्रकरण आए हैं कि जो मजदूर जहां पर काम कर रहा था, वहीं पर उसको दफना दिया गया और परिवार को बॉडी तक नहीं मिली है । यह कंडीशन आ रही है ।

मैं इस बिल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि यहां पर हमारे एक रेलवे मिनिस्टर साहब भी बैठे हुए हैं । हमने रेलवे से सफर किया । जो वहां सामान सप्लाई करता है, उस व्यक्ति ने आकर बताया है । मैंने कहा कि आपको कितनी सैलरी मिलती है? उसने कहा कि सर क्या बताएं? सर, यह जानना जरूरी है कि उसने क्या कहा? उसने कहा कि आज से तीन साल पहले मुझे 18,000 रुपए मिल रहे थे । आज कितने मिल रहे हैं तो उसने कहा कि मुझे 12,000 रुपए मिल रहे हैं । कोई किंग नाम की कंपनी है । उस कंपनी वाले ने मजदूरी की रेट कम कर दी है । आप घंटी बजाएं, उससे पहले हम कहना चाहेंगे कि जो मजदूर जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, उस कंपनी में उनका बीमा होना चाहिए। उनकी सुरक्षा के सारे संसाधन होने चाहिए । कार्य दिवस में कार्य समय 8 घंटे हैं । कई कंपनियां उनसे 10 घंटे से 12 घंटे तक काम करवा कर उनका शोषण कर रही हैं, उन पर अत्याचार कर रही हैं । मैं चाहूंगा कि इस बिल को रोका जाए और जिन मजदूरों के लिए यह लाया जा रहा है, एक बार उनकी मजदूर

यूनियनों के साथ बैठक की जाए कि उनकी क्या समस्या है, उनकी क्या भावना है, वे क्या चाहते हैं और उन पर पुन: विचार किया जाए ।...(व्यवधान)

माननीय सभापति महोदय, जो विशेष कर जो डूंगरपुर-बांसवाड़ा से मजदूरी के लिए जा रहे हैं, वे अपने बच्चे को लेकर जा रहे हैं । ऐसा प्रावधान भी होना चाहिए कि जो मजदूर वर्ग जिस इलाके में काम कर रहे हैं, जहां बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स हैं, इन बिल्डिंग्स को चमकाने का काम गरीब तबका, आदिवासी, दलित और पिछड़े समुदाय वर्ग के लोग करते हैं । इन समुदायों के साथ बच्चे भी जा रहे हैं तो उनके लिए शिक्षा की भी व्यवस्था होनी चाहिए । उनको सुरक्षा मिलनी चाहिए । ऐसी कंपनी और ऐसे ठेकेदारों पर बैन लगाना चाहिए, जो मजदूरों का शोषण करते हैं ।...(व्यवधान) प्रतापगढ़, हमारे आदिवासी इलाके के लोगों को आज भी बंधक बनाकर उनका शोषण किया जाता है । पूरे एरिया को बंद किया जाता है और उनका शोषण किया जाता है । अभी राजस्थान की पुलिस प्रतापगढ़ के मजदूर को महाराष्ट्र से छुड़ा कर लाई है । ऐसे-ऐसे अत्याचार हो रहे हैं । इन पर रोक लगाई जाए। सरकार इन पर ध्यान दे । मजदूर सिर्फ वोट का साधन नहीं है । इस देश में मजदूर वर्ग को भी जीने का अधिकार है ।...(व्यवधान) वे देश के मालिक हैं ।...(व्यवधान)

डॉ. मनसुख मांडविया : माननीय चेयरमैन सर, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड-2020 में बहुत छोटा अमेंडमेंट था । आज से छह साल पहले यह पारित हुआ । आज से ढ़ाई महीने महीने पहले यह लागू हो गया । मैं केवल एक लीगल क्लेयरिटी के लिए इसे सदन के सामने लाया हूं । यह चर्चा हुई कि कोड वापस ले लो, इससे कामगारों के हित डूब जाएंगे, इससे बहुत बड़ा अन्याय हो जाएगा । कुल मिलाकर चार कोड पर डिटेल में चर्चा हुई । मुझे लगता है कि यह मेरे लिए अवसर है कि मैं अच्छे तरह से रिप्लाई कर पाऊं ।

यहां यह भी बताया गया कि सभी श्रम संगठनों बंद की कॉल दी है । कुछ श्रम संगठनों ने विरोध किया होगा । लेकिन 17 राष्ट्रीय श्रम संगठनों ने कहा है कि ऐसी कोई बंद कॉल नहीं करनी चाहिए । लेबर के हित में यह कोड लाया गया है, केवल जब कोड लाया गया तब, पहले के तीन एक्ट थे, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, इंडस्ट्रियल एम्पलायमेंट एक्ट, 1946 और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, 1947, यह स्वाभाविक है कि यहां अच्छी बात हुई कि कार्यपालिका के पास यह अधिकार नहीं होना चाहिए जो शक्ति हमको दी थी ।

हम उस शक्ति के अनुसार चलाते थे और कोई दिक्कत नहीं थी । लेकिन पार्लियामेंट का अधिकार होना चाहिए और इस क्लेयरिटी के साथ इसे कोड में भी लाएं और पार्लियामेंट को भी उसमें शामिल कर ले । जो पुराना एक्ट है, वह ऑलरेडी रिपील हो गया, रिपील करने का अधिकार कार्यपालिका को है, यह अधिकार एक्ट में होना चाहिए ताकि भविष्य में कोई लीगल इश्यू न खड़ा हो जाए । इसलिए एक छोटा सा अमेंडमेंट लेकर आया हूं, उसके बारे में 29 सदस्यों ने विस्तार से अपनी बात रखी और बहुत अच्छा ऑब्जर्बेशन दिया । कई माननीय सदस्य अभी यहां हैं और कई चले गए हैं ।

अरूण जी ने कहा कि तमिलनाडु में टेक्सटाइल इंडस्ट्री दिक्कत में है, आप अमेरिका से ट्रेड डील कर रहे हैं । टेक्सटाइल हमारा एक्सपोर्ट होता है, उसमें अमेरिका भी है, अगर वहां सामान जाएगा तो टेक्सटाइल के कामगारों को फायदा होगा या नहीं? उसको फायदा होना है । उसका विरोध करना और उसके खिलाफ कमेंट क्यों करना? यहां एन.के.प्रेमचन्द्रन जी बैठे हैं । वामपंथी दल के सदस्यों ने भी अपनी बात रखी है, आप केरल में गवर्नमेंट में हैं ।

मैंने केरल में अभी थोड़े दिन पहले ईएसआईसी की मेडिकल कॉलेज दी । मैंने मेडिकल कॉलेज इसलिए दी ताकि वहां के युवाओं को मेडिकल कॉलेज में अध्ययन करने का अवसर मिले । वहां जब मेडिकल कॉलेज चालू होगा तो दो-तीन सौ लोगों को रोजगार भी मिलेगा । प्रेमचन्द्रन जी ने बोर्ड में मेरे सामने प्रस्ताव रखा था, मैंने उसे अप्रूव किया । एनएमसी द्वारा मेडिकल कॉलेज को एप्रूव करने के लिए एसेंशियल सर्टिफिकेट आवश्यक होता है ।

प्रेमचन्द्रन जी ने रिक्वेस्ट किया, उन्होंने प्रधानमंत्री जी से कहा, मुझे भी कहा । राज्य सरकार ने मेडिकल कॉलेज चालू करने के लिए एसेंशियल सर्टिफिकेट नहीं दिया, लेकिन वे कामगार की बात करते हैं? श्रमिकों की बात करते हैं? आपको श्रमिकों के बारे में बात करने का कोई अधिकार नहीं है । मलविंदर सिंह जी ने कहा कि उसमें मिनिमम वेजज नहीं मिलेगा । आप इस कोड का अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा, आज तक मिनिमम वेजेज सेंट्रेल गवर्नमेंट एक एडवाइजरी के रूप में तय करती थी, सभी स्टेट को लागू करना या नहीं करना, यह उनके ऊपर डिपेन्डेंट था । कई स्टेट बहुत कम मिनिमम वेजेज रखते थे ।

16.00 hrs

लेबर कोड में हमने यह सुनिश्चित किया है कि हम स्टैचुट्री बैकिंग के साथ फ्लोर वेज लाएंगे। कोई भी राज्य उसके नीचे वेज नहीं देगी । अभी बिष्ट जी भाषण दे रहे थे । मैं उनके क्षेत्र नॉर्थ-ईस्ट बंगाल में गया था । वहां पर बागान के कामगार मुझसे मिले और कहा कि महिला और पुरुष को न तो समान वेतन मिलता था, न महिला के कार्यस्थल में कोई अच्छी फैसिलिटी थी । यह लेबर कोड महिला और पुरुष को समान वेतन की गारंटी देता है । आप किस तरह से इसका विरोध करेंगे । इसी वजह से आज बंद का इफेक्ट नहीं दिखा, यह आपने भी देखा होगा । आपने कितनी भी मेहनत की, लेकिन देश नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा रहा, आपके साथ नहीं रहा । देश सच्चाई के साथ खड़ा रहेगा । यदि आप सच होते, तो देश रोड पर होता, हम सच हैं, इसलिए देश नरेंद्र मोदी जी के साथ है। इस तरह का पॉलिटिकल विरोध नहीं चलता है । …(व्यवधान)

महोदय, आप सम्मानित सदस्य हैं और आपको सम्मानित सदस्य ही कहूंगा, उसमें क्लैरिटी है । अभी चन्द्रशेखर जी ने बहुत अच्छी बात कही । उन्होंने कहा कि पसीना सूखने से पहले कामगार को सैलरी मिल जानी चाहिए । यही लेबर कोड में सुनिश्चित किया गया है कि टाइम से उनको वेतन मिल जाए, जो आज तक आप लोगों ने किया था । इसे हमने किया, इसलिए देश की जनता नरेंद्र मोदी जी का समर्थन करती है । आज दिन में क्या हुआ, राजनीति करते हुए मजदूर और इंडस्ट्रीज़ को सामने-सामने रखने की कोशिश की गई । इससे देश का कभी भला नहीं होगा । आपको इंडस्ट्रीज़ भी चलानी है और कामगारों के हितों की रक्षा भी करनी है । दोनों को साथ-साथ आगे बढ़ाना होगा । जिन्होंने इंडस्ट्रीज़ की रक्षा नहीं की तथा जिस नैनो को बंगाल से भागकर गुजरात आना पड़ा, जहां हजारों लोगों को रोज़गार मिला । बंगाल के हजारों लोगों के हाथ के काम को छीन लिया गया । ये लोग हमसे मजदूर और श्रमिकों के कल्याण की बात करते हैं । हमारी सरकार श्रमिकों के हितों की सुरक्षा चाहती है । हमारी सरकार श्रमिकों के साथ खड़ी रहती है । इंडस्ट्रीज़ को हमें आगे बढ़ाना है, तभी देश आगे बढ़ सकता है । कुल मिलाकर कहूं, तो मुझे आपको जवाब भी देना है ।

महोदय, 4 लेबर कोड हमने पारित किए । ये देश के हर नागरिक को मिनिमम वेज की गारंटी देते हैं । यह नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है । फ्लोर वेज से ऊपर ही सभी को वेज तय करना है । आज आपने यहां जो चिंता व्यक्त की, उसका मैं सॉल्यूशन और जवाब दूंगा । कई लोगों ने शिकायत की कि किसी कामगार को कभी भी निकाल दिया जाता है । उसका एक्सीडेंट हो जाता है, मृत्यु हो जाती है, काम करते-करते हाथ-पैर टूट जाते हैं, तो इंडस्ट्री वाले हाथ खड़े कर देते हैं कि यह हमारा एम्प्लॉई नहीं है । उसके पास कोई रजिस्ट्री नहीं होती है । उसकी रजिस्ट्री नहीं होती है, तो इंडस्ट्री वाले सोशल सिक्योरिटी में जिम्मेवारी फिक्स न हो, इसलिए हाथ खड़ा कर देते हैं । सभी माननीय सदस्यों के ध्यान में यह बात रहे, ताकि कोई मिसगाइड न हो । इस लेबर कोड में हर युवा को नियुक्ति-पत्र देने की गारंटी दी गई है । हर युवा, जिसको जॉब मिलेगी, उसे कम्पल्सरी नियुक्ति-पत्र देना ही पड़ेगा, ताकि इस बात का एग्रीमेंट हो जाए कि उसको एम्प्लॉयमेंट दिया गया है और इस शर्त पर दिया गया है, ताकि भविष्य में कोई इंडस्ट्री ऐसा न बोल सके कि वह हमारा कामगार नहीं है, हमारे यहां जॉब नहीं करता है ।

महोदय, यह हमारी सरकार, मोदी गवर्नमेंट की युवाओं के लिए गारंटी है । क्या आप इसका विरोध करेंगे? नियुक्ति पत्र मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए?

कई माननीय सदस्य **:** मिलना चाहिए ।

डॉ**.** मनसुख मांडविया**:** नहीं मिलना चाहिए तो आप यह कहिए कि नहीं मिलना चाहिए, तो आपको मैं ही समर्थन कर दूँ ।

महोदय, वेतन में अंतर होना, महिला का वेतन अलग, पुरुष का वेतन अलग, उस पर कोई कानूनी पाबंदी नहीं थी, कोई कानूनी तरीके से उसको रोक नहीं सकता था । एक काम के लिए किसी जगह पर ज्यादा वेतन मिले, किसी जगह पर कम वेतन मिले, लेकिन इस लेबर कोड ने सभी को समान काम के लिए समान वेतन की गारंटी दी है । इस लेबर कोड ने महिला और पुरुष, एक काम को पुरुष करता हो, वही काम महिला करे तो महिला को आप कम वेतन नहीं दे पाएंगे । दोनों को समान वेतन की गारंटी देने का कोई काम किया है तो वह माननीय नरेन्द्र मोदी जी ने लेबर कोड के द्वारा किया है ।

फिक्स टर्म में काम करने वाले लोगों के बारे में भी यहां चर्चा हुई है । आज तक ऐसा होता था कि 5 साल तक कोई फिक्स टर्म के लिए काम करे तभी उसे ग्रेच्युटी मिलती थी, लेकिन अभी एक साल तक भी कोई काम करेगा तो उसे ग्रेच्युटी मिलेगी । किसी कंपनी को या किसी व्यक्ति को या किसी संगठन को किसी कंपनी की ओर से 1.5 साल का ही कांट्रेक्ट मिला या उसे 2 साल का कांट्रेक्ट मिला या केवल किसी काम के लिए ही कांट्रेक्ट मिला हो तो केवल उसी काम के लिए उसे कामगार चाहिए । उसी काम के लिए उसे श्रमिक चाहिए । उसने श्रमिक को 1.5 साल तक काम पर रखा । जैसे ही श्रमिक को एक साल से ज्यादा का समय हुआ तो उसे ग्रेच्युटी की गारंटी का प्रावधान इन चार लेबर कोड्स के माध्यम से माननीय नरेन्द्र मोदी जी ने किया है ।

महोदय, बीमारी कभी किसी को पूछकर नहीं आती है । बीमारी गरीब के यहां भी आती है, अमीर के यहां भी आती है । अमीर के यहां बीमारी आती है तो उसकी जेब में पैसा होता है । वह बीमारी का इलाज करा लेता है । अगर किसी गरीब परिवार के यहां बड़ी बीमारी आ जाती है तो उनके लिए बहुत बड़ी दिक्कत होती है । मजदूर, श्रमिक सारे दिन काम करते हैं, मेहनत करते हैं, कई बार वे छोटी-मोटी बीमारी की उपेक्षा कर देते हैं । खासकर महिलाएं ऐसा करती हैं । कई बार गरीब महिला को ब्रेस्ट कैंसर की प्राथमिक बीमारी होती है, उसे लगता है कि छोटा-मोटा पेन है, वह उसे इग्नोर कर देती है । इन चार लेबर कोड्स में हमने प्रावधान किया है कि 40 साल से अधिक उम्र वाला कोई भी श्रमिक हो, एक साल में एक बार हेल्थ चैकअप अनिवार्य करने का प्रावधान इन लेबर कोड्स में हमने किया है ।

आप कहिए कि आप इस प्रावधान का विरोध करते हैं । आप कहिए कि आप महिला और पुरुष के समान वेतन वाले प्रावधान का विरोध करते हैं । आप यह कहिए । आप विरोध कर रहे हैं । आप यह बताइए कि आप किसका विरोध कर रहे हैं? आप राजनीतिक विरोध कर रहे हैं । आप कहिए कि आप इन सबके विरोध में हैं । आप बाहर जाकर इस तरह का कोई स्टेटमेंट दीजिए । आप बाहर जाकर ऐसा स्टेटमेंट दें कि मनसुख मांडविया ने पार्लियामेंट के फ्लोर पर जो विषय रखा है, उसका आप विरोध करते हैं । आप ऐसा बाहर जाकर बोलिए । आप ऐसा श्रमिक के सामने जाकर बोलिए तो उसको आपके बारे में पता चलेगा ।

महोदय, कोई काम करता हो, किसी हैजार्ड्स तरीके के काम में किसी को काम मिला । किसी हैजार्ड्स वर्क्स वाले प्लेस में, किसी खदान में, सीवरेज साफ करने में, इस तरीके का अगर उसे कोई काम मिलता है तब कई बार उसे ऐसे असाध्य रोग हो जाते हैं, ऐसी बीमारियां उसे लग जाती हैं, तो इसके लिए आज तक ईएसआईसी में

मिनिमम 10 कामगार हों तो उसे ईएसआईसी में ट्रीटमेंट का लाभ मिलता है । इन लेबर कोड्स में मोदी जी ने यह प्रावधान किया है । सरकार ने यह प्रावधान किया है कि एक भी व्यक्ति क्यों न हो, एक से पांच, 10 से कम भी व्यक्ति क्यों न हों, लेकिन अगर वह किसी हैजार्ड्स एक्टिविटीज में कामगार के रूप में काम करेगा तो एक रुपये से एक करोड़ रुपये तक उसके स्वास्थ्य पर खर्च करने की आवश्यकता होगी तो यह काम भारत सरकार करेगी । यह करने की सुनिश्चित जवाबदेही इन लेबर कोड्स में की गई है । जो अच्छा हुआ है, हम क्यों ने उसकी सराहना करें? मैं कहता हूँ कि आप इनपुट्स भी दें । इनपुट्स देना भी चाहिए । आप कामगार के हित में कोई अच्छा सुझाव लेकर आएंगे तो हम उसका अवश्य समर्थन करेंगे, उसमें हमारी कोई दो राय नहीं होगी । यह तो केवल टेक्निकल एक अमेंडमेंट आया है, लेकिन कोई अच्छी बात हो और लेबर, श्रमिक के हित की बात हो तो हमें ही अधिकार दिया गया है, हम ही कानून बनाएं, हम ही कानून को पारित करें, लेकिन सही काम के साथ, अच छे काम के साथ हमें जुड़ना होगा । यहां कई ऑब्जर्वेशन आये । यहां कई टाइप के ऑब्जर्वेशंस आए हैं । मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन लेबर कोड्स को लागू हुए मात्र 2.5 महीने का समय हुआ है ।

ढाई महीने में दो सर्वे आए । मैं सर्वे का विषय आपके सामने ध्यान में रखना चाहूंगा, ताकि आपके संज्ञान में रहे कि सच क्या है? वी.वी. गिरि, जो कि सरकार का इंस्टीट्यूट है, उन्होंने एक सर्वे किया । सर्वे में यह निष्कर्ष निकला कि around 66 per cent of workers believe that employment terms and conditions will become clearer under the Labour Code. Around 60 per cent workers believe that job security will see improvement. About 62 per cent of contract and fixed-term workers believe that they will receive better protection. Additionally, nearly 60 per cent of contract, migrant, and gig workers believe that they will get better access to social security benefits. यहां गिग वर्कर्स की तो बात ही नहीं थी । आज एक नई गिग इकॉनोमी डेवलप हो रही है । उसमें लाखों की संख्या में गिग वर्कर्स काम कर रहे हैं । भारत में ही नहीं, बल्कि दुनिया में भारत पहला देश है, जिन्होंने गिग वर्कर्स की सोशल सिक्योरिटी के लिए चिंता की है । दादा आप सुनिए, आपके काम आएगा । Almost 68 per cent of workers consider the introduction of a registration system, such as e-Shram and welfare boards as a positive step and it will help them access benefits easier. आज तक अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लिए उसकी न तो रजिस् ट्री थी, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में कहां-कहां कितने लोग काम कर रहे हैं, इसके बारे में न ही किसी को पता था । हमने ई-श्रम पोर्टल के द्वारा रजिस्ट्री सुनिश्चित की । इसके लिए श्रमिकों ने भी इसकी सराहना की । (*Interruptions*) I am telling you (*Interruptions*) Around 63 per cent of workers believe that social security benefits will become portable across jobs and locations. यह इस सर्वे में आया है । आप ऐसा भी कहेंगे कि यह सर्वे तो सरकार ने किया है, तो सरकार के फेवर में ही होगा । दूसरा भी एक सर्वे आया है । यह सर्वे वर्क इंडिया एंड टीमलीज ने किया है । यह मैं इसलिए मेंशन करना चाहता हूं, क्योंकि यह आपके लिए उपयोगी होगा, आपके काम में आएगा । वह लेबर लॉज ऑफ जॉब क्रिएशन को बूस्ट कर रहा है, खासकर टायर थ्री और टायर फोर सिटीज़ में । यह टीमलीज का सर्वे है । यह हमारी कोई प्राइवेट एजेंसी द्वारा किया हुआ सर्वे नहीं है । इसमें ओवरऑल जॉब पोस्टिंग में भारी बढ़ोतरी हुई है । वूमेन जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ में भी तुलनात्मक बढ़ोतरी हुई है । टायर थ्री, टायर फोर सिटीज़ में जॉब पोस्टिंग 56 प्रतिशत तक बढ़ी है । इसका साफ मतलब है कि लेबर कोड ने मेट्रो सिटीज़ में ही नहीं, बल्कि टायर थ्री और टायर फोर लेवल की सिटीज़ में भी अच्छा माहौल क्रिएट किया है, ताकि देश के वर्कर्स का भविष्य सुनिश्चित हो ।

चेयरमैन सर, कई सम्माननीय सदस्यों ने अपनी बात रखते हुए सुझाव के रूप में भी कहा और कई लोगों ने ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रेशन के बारे में भी कहा है । ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस में हमने कोई चेंज नहीं किया है । ट्रेड यूनियन में जो पहले था, वैसे ही ट्रेड यूनियन के रजिस्ट्रेशन के लिए अपॉर्च्युनिटी मिलेगी । यहां मिनिमम वेज के बारे में भी कहा गया, जिसका मैंने पहले ही स्पष्टीकरण दे दिया है ।

सुप्रिया जी, मेरे मन में खासकर यह रहता है कि जब सुप्रिया जी कई बार बोलने के लिए खड़ी होती हैं, तो मैं सुनने के लिए बैठता भी हूं । इनका स्टेटमेंट बहुत अध्ययनपूर्वक होता है, लेकिन आपने इस बार कहा कि 50 से कम लोगों को आप रजिस्ट्रेशन नहीं देंगे और उनकी सोशल सिक्योरिटी का क्या होगा?

सुप्रिया जी, आपने कहा कि 50 से कम लोगों को आप रजिस्ट्रेशन नहीं देंगे तो उनकी सोशल सिक्योरिटी का क या होगा, तो अगर वे 50 से कम कामगार होंगे, तब भी ईएसआईसी के लाभार्थी के रूप में उनकी सोशल सिक योरिटी सुनिश्चित है ही । उसमें कोई चेंज नहीं होगा, इसका भी ध्यान रखा गया है । (व्यवधान)

सोशल सिक्योरिटी के बारे में अगर मैं बताऊं तो हमारे वर्कर्स की सोशल सिक्योरिटी का सुनिश्चित होना बहुत आवश्यक है । वर्ष 2014 में इस देश में 25 करोड़ लोगों को सोशल सिक्योरिटी मिलती थी, जो कुल जनसंख्या का 19 प्रतिशत था । आज साढ़े ग्यारह सालों में देश में सोशल सिक्योरिटी का कवरेज 19 प्रतिशत से बढ़ा है । यह मैं नहीं कहता हूं, बल्कि आई.एल.ओ. ने अपनी बुलेटिन में कहा कि आज भारत अपने देश के 64 प्रतिशत नागरिकों को सोशल सिक्योरिटी देने वाला देश बन गया है । आज 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज मिल रहा है, आज 60 करोड़ लोग आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थी हैं । आज 25 करोड़ लोग ईएसआईसी के लाभार्थी हैं । आज लोगों को कई प्रकार की सोशल सिक्योरिटी की कवरेज में लाया गया है । जहां पहले केवल 25 करोड़ लोगों को सोशल सिक्योरिटी मिलती थी, वहीं आज यह 94 करोड़ लोगों को मिल रही है । आने वाले दिनों में वर्ष 2028 तक इस देश में 100 करोड़ लोगों को सोशल सिक्योरिटी मिले, इस दिशा में नरेन्द्र मोदी सरकार काम कर रही है । यही कमिटमेंट होता है । केवल भाषण देने से, वादा करने से, आंदोलन करने से, पॉलिटिकल क्रीटिसिज्म करने से कामगार का कल्याण नहीं होता है । पिछले एक दशक में नरेन्द्र मोदी जी ने कामगार का कल्याण करके दिखाया है । (व्यवधान)

यहां डीएमके के हमारे एक सदस्य ने कहा कि इससे 'कलेक्टिव बारगेनिंग' खत्म हो जाएगी । हमने तो 'कलेक्टिव बारगेनिंग' को स्टैट्युटरी बना दिया है, इसे खत्म करने की बात हम कभी नहीं करेंगे, बल्कि इसे हम स टैट्युटरी करेंगे । बारगेनिंग होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए । मसला बातचीत से ही निपटना चाहिए । यह हमने सुनिश्चित किया है ।

यहां कई बार डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को मेन्शन किया गया । डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हमारे देश के बंधारण के 'गढ़वइये' हैं, हम सबके लिए एक आस्था पुरुष हैं । उन्होंने जो कहा है, हम सब लोग उसको क्वोट भी करते हैं । उन्होंने कहा कि कार्यस्थल पर न्याय ही समाज में न्याय की नींव है । यही हमने 'लेबर कोड' में सुनिश्चित किया है । श्रमिक का सम्मान राष्ट्र के चारित्र्य का मापदंड है । मोदी सरकार ने 'श्रमेव जयते' के मंत्र को साकार करने की कोशिश की है । बाबा साहेब अम्बेडकर को कैसे सम्मान देना है, यह तो मोदी जी भली-भांति जानते हैं, क्योंकि वे एक श्रमिक परिवार से निकले हुए व्यक्ति हैं । मैं तो गुजरात से हूं । मैंने देखा है । एक गरीब परिवार में पैदा हुए नरेन्द्र मोदी वडनगर के रेलवे स्टेशन पर अपने पिता जी की मदद करने के लिए अर्ली मॉर्निंग चाय की छोटी-सी केतली लेकर चाय बेचने जाते थे । (व्यवधान) केतली लेकर चाय बेचने वाले श्रमिक परिवार के बेटे आज देश के प्रधान मंत्री हैं, यह आपको डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, दिक्कत यही है। (व्यवधान) यही व्यक्ति

आज जब देश के प्रधान मंत्री के रूप में बैठे हैं तो श्रमिकों का कल्याण कैसे करना है, श्रमिकों के हितों की रखवाली कैसे करनी है, क्या ये लोग उन्हें सिखाएंगे? (व्यवधान) वे अपने घर से यह सब सीख कर आए हैं, अपने परिवार में झेल कर आए हैं । (व्यवधान) उनको सिखाने की आवश्यकता नहीं है । उनकी नीतियों में यह झलक रहा है ।

सभापति महोदय, मैं आपके सामने यह विषय रखना चाहूंगा कि यहां अन-एम्प्लॉयमेंट रेट का उल्लेख हुआ और कहा गया कि देश में बेरोजगारी बढ़ रही है । जब आप बेरोजगारी की बात करते हैं तो आप भूल जाते हैं ।

महोदय, मैं आपके सामने फैक्ट्स एंड फीगर्स रखना चाहता हूं । वर्ष 2001 से 2011 और वर्ष 2011 से 2017 में जब देश का इकोनॉमी ग्रोथ होता है, देश का जीडीपी ग्रोथ होता है, तो सोशल साइंस ऐसा कहता है कि जब वन परसेंट जीडीपी ग्रोथ बढ़ता है तो वन परसेंट एम्प्लॉएमेंट ग्रोथ होना चाहिए । विकास के साथ एम्प्लॉएमेंट जेनरेट हो और देश अच्छी तरह से आगे बढ़ सके । इस कार्यकाल में 0.8 परसेंट जीडीपी के सामने एम्प्लॉएमेंट रेट था । मैं फैक्ट्स एंड फीगर्स बता रहा हूं । वर्ष 2017 से वर्ष 2024 तक जो फैक्ट्स एंड फीगर्स हैं, वह समझने जैसा है । आज हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ 7 से 8 परसेंट है । जब इकोनॉमिक ग्रोथ वन परसेंट बढ़ता है तो उसके साथ वन परसेंट एम्प्लॉएमेंट जेनरेशन होना चाहिए । हमारी सरकार में 1.1 परसेंट इकोनॉमिक ग्रोथ के सापेक्ष में एम्प्लॉएमेंट बढ़ रहा है । यह तंदुरुस्त आर्थिक व्यवस्था है । एम्प्लॉएमेंट जेनरेशन के लिए मोदी जी की जो नीति है, उसी नीति का ही यह परिणाम है ।

महोदय, यहां अनएम्प्लॉएमेंट की बात की गई । मैं वर्ष 2017 के पहले की स्थिति को कोट करना चाहूंगा । एम्प्लॉएमेंट, अनएम्प्लॉएमेंट और उसके सर्वे के बारे में देश में कोई मैकेनिज्म नहीं था । एनएसओ के डेटा के अनुसार एक आंकलन होता था । पीएलएफएस डेटा वर्ष 2017 से चालू हुआ । आज सारी दुनिया में चाहे डब्ल्यूएलओ हो, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गनाइजेशन हो, दुनिया की सभी एजेंसीज़ हो, भारत के पीएलएफएस का जो डेटा आता है, उसे हमारी मॉस्पी करती है । वे उसकी डेटा को ऑथेंटिक मानते हैं और उसके ऊपर विश्वास करते हैं । यह डेटा ऐसा कहता है कि वर्कर पॉपुलेशन रेशियो यानी देश में जो कुल पॉपुलेशन है, उसमें कामकाजी लोग कितने हैं । यह वर्ष 2017-18 में 46.8 परसेंट था । उसके बाद आठ साल में यह बढ़ कर 58.2 परसेंट हुआ । इस प्रकार हमने ज्यादा लोगों को काम दिया । जब हर हाथ को काम मिलेगा तो लोग अपना निर्वहन कर लेंगे । इसे हमने सुनिश्चित करने का काम किया है ।

महोदय, यहां किसी ने उल्लेख किया कि अनएम्प्लॉएमेंट रेट 14 परसेंट है । यह मैं नहीं कहता हूं, बल्कि दुनिया कहती है, आईएलओ कहता है कि आज देश में अनएम्प्लॉएमेंट रेट में सुधार हुआ है । इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि देश में वर्ष 2017-18 में अनएम्प्लॉएमेंट रेट 6 परसेंट था, आज वह कम होकर 3.2 परसेंट हो गया है । दुनिया के डेवलप देशों में भी यह प्रमाण रहता है, उसकी बराबरी के लिए आज भारत खड़ा है । उसका हमें गर्व होना चाहिए । इस फीगर पर हमें गौर करना चाहिए । बाहर जाकर आपके द्वारा विरोध करने से आपकी साख भी दाव पर लग चुकी है । इसे लोग मानते नहीं है । सच के साथ रहने से लोग भरोसा करते हैं ।

महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मोदी जी के प्रयास से देश में सेल्फ एम्प्लॉएमेंट में भी बढ़ोत्तरी हुई है । जो सेल्फ एम्प्लॉएमेंट वर्ष 2017-18 में 52 परसेंट था, वह बढ़ कर 58 परसेंट हुआ है । लोग सेल्फ एम्प्लॉएमेंट के लिए आगे बढ़ रहे हैं । वे अपना व्यवसाय करें, अपना कामकाज करें, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए, छोटी इंडस्ट्री लगाए । इससे वे अपना अर्थोपार्जन कर सकें, उस दिशा में भी अच्छा काम हुआ है ।

महोदय, जब एक अच्छी चर्चा निकली है तो मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं । जो कम सैलरी वाले लोग हैं और शॉर्ट टाइम के लिए काम करते हैं, वे अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में होते हैं । लेबर के लिए जैसी एम्प्लॉएमेंट ऑपर्चुनिटी बढ़ी, उसको अच्छी जॉब मिलने लगी, अच्छा काम मिलने लगा । फीगर ऐसा कहता है कि वर्ष 2017-18 में जिस लेबर का शेयर 24 परसेंट था, वह कम होकर 19 परसेंट हुआ । यानी फाइव परसेंट लोग जो कैजुअल लेबर थे, उससे अप हुए । उन सभी को काम मिला । वे क्वालिटी वर्क में लगे । यह देश की उपलब्धि है । यह नरेन्द्र मोदी जी के प्रयास का परिणाम है । हम सब लोगों को गर्व महसूस करना चाहिए । आज देश आगे बढ़ रहा है और विकास कर रहा है।

चेयरमैन सर, मैं आपके सामने अनएम्प्लॉयमेंट रेट और एम्प्लॉयमेंट रेट का डेटा रखना चाहता हूँ । यहां पर बातें हुईं कि नौकरियां कहां हैं, काम कहां है और रोजगार कहां है? वर्ष 1935 में रिजर्व बैंक बनी थी । यह हमारी सरकार के समय में नहीं हुआ, यह आपकी सरकार के समय में भी थी । वर्ष 1980 या 1985 में कैपिटल लेबर एनर्जी मटेरियल्स और सर्विस को इकट्ठा करके आरबीआई एक सर्वे करती थी, उसको क्लेम डेटा कहते थे । यह हमारे समय में सर्वे हुआ है, ऐसा नहीं है । आपकी सरकार में भी क्लेम डेटा का सर्वे होता था और क्लेम डेटा बताता है कि इनका वर्ष 2003-04 का ऐसा सर्वे था, जिसमें देश में 44 करोड़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला था । ध्यान से सुनना कि यह वर्ष 2014-15 में बढ़कर 47 करोड़ हुआ यानी दस साल में केवल तीन करोड़ लोगों को जॉब और काम मिला ।

चेयरमैन सर, मुझे बताते हुए खुशी है, आप लोग कान खोल कर सुन लेना कि वर्ष 2023-24 के क्लेम डेटा का रिजर्व बैंक का सर्वे आया, जिसमें कहा गया कि 64 करोड़ लोग कामकाज में हैं । इन्हें जॉब मिली है, इसका मतलब यह हुआ कि एक दशक में 17 करोड़ लोगों को रोजगार देने वाला देश भारत है और यह एनडीए के नेता नरेन्द्र मोदी जी हैं । यह मैं फिगर के साथ आपके सामने रखना चाहूँगा । यहां कहा गया कि सर्विस सेक्टर में जॉब जा रही हैं । जी नहीं, ये लेबर कोड सर्विस सेक्टर को भी प्रोटेक्ट करता है । यह लेबर कोड हर कामगार को समान अपॉर्चुनिटी के साथ अवसर भी देता है ।

मैं एम्प्लॉयमेंट के बारे में सर्विस सेक्टर की बात करूं, तो वर्ष 2014-15 में 14 करोड़ लोग सर्विस सेक्टर में काम कर रहे थे, वर्ष 2022-23 में बढ़कर 20 करोड़ हो गए । वर्ष 2014-15 से वर्ष 2022-23, एक दशक में सर्विस सेक्टर में पांच करोड़ नौकरियां बढ़ीं । This is an authentic data.

आईटी सेक्टर का भी मैं बताऊंगा । कंस्ट्रक्शंस सेक्टर में पांच करोड़ लोग काम में थे । वर्ष 2022-23 की रिपोर्ट के मुताबिक 7.47 प्रतिशत यानी ढाई करोड़ लोगों को जॉब मिली । ट्रेड में 4.96 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2022-23 में 6.79 प्रतिशत यानी तकरीबन दो करोड़ लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटी मिली । वैसे ही मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में साढ़े पांच करोड़ लोग काम करते थे, जो वर्ष 2022-23 में बढ़कर 6.31 प्रतिशत यानी कि 85 लाख ज्यादा लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटी मिली । सभी लोगों को जॉब का अवसर मिल रहा है । मैं फिगर दे रहा हूँ, आपके काम में आएंगे । इसलिए मैं बोल रहा हूँ और आपको भेंट भी कर देता हूँ । मैंने जो फिगर दिया है, उसके अनुसार ईपीएफओ में जिसे पहली बार जॉब मिलती है, उसे यूएएन नंबर लेना होता है । जिसे पहली बार जॉब मिलती है, उसे नया यूएएन नंबर मिलता है । इन्होंने कहा कि कितने लोगों को जॉब मिली? मैंने कहा कि एक दशक में क्लेम का डेटा कहता है कि 17 करोड़ नए लोग काम में आए । ईपीएफओ का डेटा भी उसे प्रमाणित करता है । ईपीएफओ के डेटा में प्रतिवर्ष देखें, तो वर्ष 2021-22 में एक करोड़ 22 लाख नए लोग जॉब में आए । वर्ष 2022-23 में 1 करोड़ 31 लाख नए लोग जॉब में आए हैं और वर्ष 2023-24 में एक करोड़ 31 लाख नए लोग जॉब में आए हैं । हम जब इन सब फिगर्स को असेस करते हैं, तो उसके साथ मिल जाता है ।

यह संभव कब हुआ? यह तब संभव हुआ, जब सरकार ने एम्प्लॉयमेंट के लिए समय-समय पर कदम उठाए । हमारी सरकार ने समय पर कार्य योजना बनाई । आपने देखा होगा कि मोदी 3.0 सरकार बनने के तुरंत बाद ही मोदी जी ने पहले ही बजट में दो लाख करोड़ रुपये का पैकेज घोषित करके पांच साल में 4.1 करोड़ नए जॉब देने के लिए दो लाख करोड़ रुपये की जॉब अपॉर्चुनिटी दी । पैकेज में इसका अनाउंसमेंट किया ।

उसमें से एक पार्ट था 1 लाख करोड़ से साढ़े 3 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के द्वारा जो पहली बार नौकरी मिलेगी, उसमें 15 हजार रुपयों का सहयोग किया जाएगा, ताकि उसको अगर कम सैलरी वाली जॉब भी मिले, तब भी उसे सरकार की ओर से पैसा मिलेगा, जिससे वह कम सैलरी वाली जॉब भी कर लेगा । बाद में जब स्किल डेवलप हो जाएगी, तो उसे अच्छी तनख्वाह के साथ अच्छी जॉब भी मिल सकेगी । ऐसी योजना की हमने प्लानिंग की है, जिससे देश में जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़े । देश में कामगारों को भी काम मिले । कामगार के हितों की रक्षा और सुरक्षा हो । महिला और पुरुषों को समान अधिकार मिले, समान वेतन मिले । सभी को जॉब और सोशल सिक्योरिटी की गारंटी मिले । इस उद्देश्य के साथ ये चार कानून लाए गए थे । इन चारों कानूनों के आज इंप्लीमेंट होने के बाद कामगारों की ओर से एक अच्छा फीडबैक आ रहा है । (व्यवधान)

मेरी सभी से विनती है कि आप इसे अच्छी तरह से समझें । बाद में जो भी पॉलिटिकल विरोध करना होगा, आप करिएगा । मेरे सम्मानीय सदस्यगण को लेबर कोड के वास्तविकता की समझ होनी चाहिए । पॉलिटिकल वजह से आपको जो करना है, आप इसके लिए ओपन हैं । मैं आपको रोक नहीं पाऊंगा । लेकिन, यह आपके संज्ञान में रहे, इस उद्देश्य के साथ मैंने कई फैक्ट्स एंड फीगर्स के साथ आपके सामने यह विषय रखा है । लेकिन, इस छोटे से अमेंडमेंट में एक लीगल क्लेरिटी लाने के लिए मैं यह अमेंडमेंट लेकर आया हूं । भविष्य में आपकी ओर से कामगारों के कल्याण के हित में कोई अच्छा सुझाव आएगा या कुछ करने की आवश्यकता होगी, हम सभी सांसदगण साथ में मिल कर करेंगे ।

मैं सभी सम्माननीय सदस्यों से विनती करता हूं कि यूनानिमसली इस अमेंडमेंट को पारित करें ।

माननीय सभापति **:** प्रश्न यह है:

कि औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 का संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Sir, I will come to you.

(*Interruptions*)

माननीय सभापति **:** अब सभा विधेयक पर खण्डवार विचार करेगी ।

Clause 2 Amendment of Act 35 of 2020

माननीय सभापति **:** श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन जी, क्या आप संशोधन संख्या 1 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, I would like to move Amendment No. 1. It is a technical objection. I want to make my protest that all these Acts have

to be maintained. That should be there. That is the intention of moving that amendment. I am moving the amendment.

I beg to move:

Page 2, line 3,-

for shall stand

substitute shall not stand. (1)

माननीय सभापति **:** अब मैं श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन जी के द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 1 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं ।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

माननीय सभापति **:** श्रीमती दग्गुबाती पुरंदेश्वरी जी, क्या आप संशोधन संख्या 2 प्रस्तुत करना चाहती हैं?

SHRIMATI DAGGUBATI PURANDESWARI (RAJAHMUNDRY): Sir, I am moving the amendment.

I beg to move:

Page 2, *after* line 8,-

insert

(*1A*) Notwithstanding such repeal under sub-section (1), the functioning of the Tribunals and statutory authorities functioning under the Acts so repealed shall continue to function till such Tribunals and other statutory authorities becomes functional under this Code.. (2)

माननीय सभापति **:** अब मैं श्रीमती दग्गुबाती पुरंदेश्वरी जी के द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 2 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं ।

प्रश्न यह है:

पृष्ठ 2, पंक्ति 7 के पश्चात,-

(1 क) उपधारा (1) के अधीन ऐसे निरसन के बावजूद, इस प्रकार निरसित किए गए अधिनियमों के अधीन कार्य कर रहे अधिकरण और सांविधिक प्राधिकरण तब तक कार्य करना जारी रखेंगे जब तक कि ऐसे अधिकरण और अन्य सांविधिक प्राधिकरण इस संहिता के अधीन कार्यशील नहीं हो जाते।

अंत:स्थापित करें।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय सभापति **:** प्रश्न यह है:

कि खंड 2, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड *2,* यथा संशोधित*,* विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड *1,* अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए ।

माननीय सभापति **:** माननीय मंत्री जी प्रस्ताव करें कि विधेयक को, यथा संशोधित, पारित किया जाए ।

डॉ**.** मनसुख मांडविया **:** सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि विधेयक, यथा संशोधित, पारित किया जाए ।

माननीय सभापति **:** प्रश्न यह है :

कि विधेयक, यथा संशोधित, पारित किया जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

____